Con. 3. 4.7.47
751

अंक 4

संख्या 7

मंगलवार
22 जुलाई,
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. परिचय पत्रों की पेशी तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना 1
2. राष्ट्रीय पताका सम्बन्धी प्रस्ताव 1

भारतीय विधान-परिषद्

मंगलवार, 22 जुलाई सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक विधान भवन, नई दिल्ली में दिन के दस बजे माननीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

परिचय-पत्रों की पेशी तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना

निम्नलिखित सदस्य ने अपना परिचय-पत्र पेश किया और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये:

श्री जैसुख लाल हाथी (अवशिष्ट रियासतें का गुट)।

***श्री रामनारायन सिंह** (बिहार: जनरल): श्रीमान् जी, एक बड़े महत्वपूर्ण वैधानिक विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हम यहां एक सर्वाधिकार प्राप्त संस्था के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं और भावी स्वतंत्र भारत के लिये विधान बना रहे हैं। अन्य व्यक्ति भी ऐसा ही समझते हैं। लेकिन परिषद् के दफ्तर द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले लिफाफों के सिरों पर हमें अब भी 'सम्राट की सेवा में' शब्द दिखाई देते हैं। मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है। मैं इस विषय की ओर आपका तथा हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में परिषद् पत्र-व्यवहार में लिफाफों पर इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी।

राष्ट्रीय पताका सम्बन्धी प्रस्ताव

***अध्यक्ष:** हम कार्यक्रम को लेंगे। कार्यक्रम का पहला विषय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पताका विषयक प्रस्ताव है।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्त-प्रांत: जनरल): अध्यक्ष महोदय, निम्न प्रस्ताव को पेश करने का मुझे गौरव है:

''निश्चय किया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा जिसमें गहरे केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की बराबर-बराबर की

---

*इस चिन्ह का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

तीन आड़ी पट्टियां होंगी। सफेद पट्टी के केन्द्र में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी जो सारनाथ के अशोक कालीन सिंह स्तूप के शीर्ष भाग पर स्थित है।

चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लम्बाई का अनुपात साधारणतः 2:3 होगा।''

श्रीमान्जी, यह प्रस्ताव साधारण भाषा में है। इसकी भाषा थोड़ी-सी लाक्षणिक भी है और जो शब्द मैंने पढ़े हैं उनमें तेज और उत्साह नहीं है। फिर भी मुझे विश्वास है कि इस हाउस में बहुत से सदस्य उस तेज और उत्साह का अनुभव कर रहे होंगे जिसका इस समय मैं अनुभव कर रहा हूं। क्योंकि इस प्रस्ताव तथा झंडे के पीछे, जिनको हाउस के समक्ष स्वीकार करने के लिये पेश करने का मुझे गौरव है, एक इतिहास है—राष्ट्रीय जीवन के एक अल्पकाल का घटनाओं से परिपूर्ण इतिहास है। कभी-कभी थोड़े से समय में हम शताब्दियों के मार्ग को तय कर लेते हैं। किसी व्यक्ति का केवल जीवन व्यतीत करना इतना महत्व नहीं रखता है जितने कि उस व्यक्ति द्वारा अपने अल्पकालीन जीवन में किये गये कार्य महत्व रखते हैं। किसी राष्ट्र का केवल अस्तित्व ही इतना महत्व नहीं रखता है जितने कि उस राष्ट्र द्वारा अपने जीवन के विभिन्न काल में किये गये कार्य महत्व रखते हैं। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि पिछले 25 वर्ष में भारत संगठित रहा और उसने संगठित होकर कार्य किया और जिन भावनाओं से भारतीय जनता परिपूरित है वह कुछ वर्षों का क्षणिक आवेश ही नहीं हैं बल्कि उससे बहुत-कुछ अधिक है। उनका नाम इतिहास में आ चुका है और उस इतिहास को उन्होंने स्वयं गौरवान्वित किया है। वही इस देश में हमारी पैतृक सम्पत्ति है। इस कारण इस प्रस्ताव को पेश करते समय मुझे घटनाओं से परिपूर्ण उस इतिहास का ख्याल आता है जिसमें हम सबने विगत 25 वर्ष गुजारे हैं। अनेकों स्मृतियां मुझे घेरे हुये हैं। इस महान् राष्ट्र ने स्वतंत्रता के लिये जो महान् युद्ध किया मुझे उसकी सफलतायें और असफलतायें याद आती हैं। मुझे याद है और इस हाउस के अनेक सदस्यों को याद होगा कि हम किस प्रकार इस झंडे को केवल गौरव और उत्साह से ही नहीं वरन् शरीर में एक स्फूर्ति और उत्तेजना समेत मानते थे। कभी-कभी जब हम पराजित और निरुत्साह हो जाते थे तब इस झंडे का दर्शन आगे बढ़ने के लिये उत्साह दिलाता था। उस समय

हममें से अनेकों जो आज यहां उपस्थित नहीं हैं–हमारे अनेकों साथी जो संसार से कूच कर गये हैं इस झंडे को थामे रहते थे–और बहुत से तो मृत्युपर्यन्त इस झंडे को थामे रहे और मरते-मरते झंडे को ऊंचा रखने के लिये दूसरे को सौंप गये। इस कारण इन सादा शब्दों से जो भाव प्रगट होता है उससे कहीं अधिक भाव इनमें भरा हुआ है। लोगों का स्वतंत्रता के लिये युद्ध, उसमें सफलतायें तथा असफलतायें, मुकदमें और आपत्तियों के साथ-साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश करते समय तत्सम्बन्धी कुछ विजय–उस युद्ध के अन्त में विजय के भाव इन शब्दों में भरे हुये हैं।

अब मैं पूर्णतया अनुभव करता हूं, जैसा कि यह हाउस भी अनुभव करेगा कि हमारी इस विजय में अनेक प्रकार से रुकावटें डाली गई। ऐसी भी अनेकों घटनायें हुई हैं, विशेषकर पिछले कुछ महीनों में जिनसे हमें दु:ख पहुंचा है और जिन्होंने हमारे हृदय पर आघात किया है। हमने देखा कि हमारी प्यारी जन्मभूमि में से कुछ भाग काट दिये गये। हमने अनेकों मनुष्यों को असहाय कष्ट भोगते देखा, अनेकों को बेघरबार अनाथ पागलों की तरह भटकते देखा। हमने और भी बहुत सी बातें देखीं जिनको इस हाउस में दुहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उन्हें भूल नहीं सकते हैं। इन तमाम दु:खों ने हमारे मार्ग में बाधायें डाली हैं। विजय प्राप्त कर लेने पर भी हमारे लिये ये बाधायें हैं। हमें अभी और आगे बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना है। फिर भी मेरे ख्याल से यह सच है–मैं तो इसे सच ही समझता हूं–कि यह समय विजय का है और हमारे समस्त संघर्षों का परिणाम इस समय विजय है। (*वाह, वाह*)

अनेकों घटनायें जो हो चुकी हैं उन पर बहुत पश्चाताप तथा खेद प्रकट किया गया है। उन घटनाओं के कारण मैं दुखी हूं, हम सब मन में दुखी हैं। लेकिन विजय के दूसरे पहलू से हमें जो कुछ भी हुआ है–उसको पहचानना है–क्योंकि विजय में हर्ष है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि उस महान् तथा शक्तिशाली सरकार ने जिसने देश में साम्राज्यशाही का आधिपत्य जमा रखा था, अपना शासन समाप्त करने का निर्णय कर लिया है। इसी की ओर हमारा लक्ष्य था। हमने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है अथवा शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे उद्देश्य की पूर्ति ठीक उसी प्रकार नहीं हुई जिस प्रकार कि हम चाहते थे। हमारे कार्यों में जो मुसीबतें तथा और बातें आईं उन्हें हम नहीं चाहते थे। पर हमें याद रखना चाहिये कि ऐसा बहुत कम होता है

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

कि लोग जिस स्वप्न को देखें उसकी पूर्ति हो जाये। ऐसा बहुत कम होता है कि जिन उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को लेकर हम चलते हैं; उनकी पूर्ण प्राप्ति किसी व्यक्ति के जीवन में अथवा राष्ट्र के जीवन में हो जाये।

हमारे सामने अनेकों उदाहरण हैं। हमें सुदूर अतीत काल में नहीं जाना है। हमारे पास वर्तमान अथवा निकटवर्ती अतीत के उदाहरण हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक महान युद्ध हुआ—वह संसार-युद्ध जिसने मानवता पर भयानक विपत्तियां ढाईं—यह युद्ध स्वतंत्रता, लोकतंत्रता तथा और बहुत-सी बातों के लिये लड़ा गया था। इस युद्ध का अन्त उन लोगों की विजय के रूप में हुआ जो कहते थे वे स्वतंत्रता तथा लोकतंत्रता के हामी हैं। फिर भी युद्ध समाप्त होने भी न पाया था कि नये युद्ध और संघर्षों की अफवाहें उड़ने लगीं।

तीन दिन पूर्व एक पड़ोसी देश में राष्ट्र के नेताओं की पाशविक हत्याओं ने इस हाउस, इस देश तथा संसार को थर्रा दिया। आज समाचार-पत्रों से यह मालूम होता है कि एक साम्राज्यवादी सत्ता ने दक्षिण-पूर्व एशिया के एक मित्र देश पर हमला किया है। इस संसार में अभी स्वतंत्रता बहुत दूर है और समस्त राष्ट्र छोटे या बड़े रूप में अपनी-अपनी स्वतंत्रता के लिये संघर्ष कर रहे हैं। यदि हमें जिसके लिये हम प्रयत्नशील थे, प्राप्त नहीं हुआ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके लिये शर्मिन्दा होने की कोई बात नहीं है; क्योंकि मेरे ख्याल से जो कुछ हमने प्राप्त किया है वह कम नहीं है। वह बड़ी पर्याप्त वस्तु है—महान् वस्तु है। कोई मनुष्य उसे खोने का प्रयत्न न करे केवल इसलिये कि और भी बहुत-सी ऐसी बातें हुई जिन्हें हम नहीं चाहते थे। हम इन दो चीजों को अलग-अलग समझें। इस महान् संसार में किसी देश की ओर देखिये। ऐसा कौन-सा देश है—बड़े-बड़े शक्तिशाली देशों में भी—जो आज भयानक समस्याओं से परिपूर्ण न हो, जो आज किसी न किसी रूप में चाहे राजनैतिक हो तथा आर्थिक हो, उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयत्न न कर रहा हो जो किसी न किसी तरह उसके अधिकार से परे हैं। इतने बड़े प्रसंग में भारत की समस्यायें भयानक प्रतीत नहीं होती हैं। ये समस्यायें हमारे लिये कोई नई नहीं हैं। अतीत में हमने अनेकों अप्रिय बातों का सामना किया है, पर हम पीछे नहीं हटे। हम और भी अनेकों अप्रिय बातों का सामना करेंगे जो अभी या भविष्य में हमारे सामने आयेंगी और हम न उनसे विमुख होंगे; न घबरायेंगे और न पद-त्याग करेंगे। (*घोर हर्ष-ध्वनि*)

इसलिये ऐसे वातावरण में भी मैं किसी उत्साहहीन प्रवृत्ति को लेकर इस राष्ट्र की, जो कुछ इसने प्राप्त किया है, प्रशंसा करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। *(पुनः तालियां)* यह ठीक और उचित है कि इस समय हमें इस प्राप्ति के संकेत को स्वतंत्रता के संकेत को स्वीकार करना चाहिये। यह स्वतंत्रता अपने पूर्ण रूप में और समस्त मानवता के लिये क्या वस्तु है? स्वतंत्रता क्या है, और स्वतंत्रता के लिये संघर्ष क्या है, और उसका अन्त क्या है? जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं और कुछ सफलता प्राप्त कर लेते हैं, आपके सामने आगे और कर्त्तव्य आते हैं। इस देश में अथवा संसार में जब तक एक भी व्यक्ति परतंत्र है तब तक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होगी। जब तक देश के किसी भी व्यक्ति के लिये पुरुष, स्त्री अथवा बच्चे के लिये भुखमरी, कपड़ों की कमी, जीवन के लिये आवश्यक उपकरणों की कमी और उन्नति के लिये अवसर की कमी है तब तक पूर्ण स्वतंत्रता न हो सकेगी। हम उसके लिये प्रयत्न करेंगे। शायद हम उसमें सफल न हो सकें क्योंकि यह एक महान् कार्य है। लेकिन हम उस कार्य को पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे और आशा करते हैं कि हमारे उत्तराधिकारियों को, जब वे आयेंगे, अनुसरण करने के लिये सरल मार्ग मिले। लेकिन स्वतंत्रता के मार्ग का कोई अन्त नहीं है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं और कभी-कभी मिथ्याभिमान में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह कभी प्राप्त नहीं होती। यदि कठोर परिश्रम करें तो हम धीरे-धीरे अपने लक्ष्य के निकट पहुंच जाते हैं। जब हम लोगों को अधिक सुखी बनाते हैं तो कई प्रकार से हम उनके स्वास्थ्य में उन्नति करते हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। मैं नहीं जानता कि इसका कहीं अन्त होता भी है या नहीं, लेकिन हम किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं जिसका कभी अन्त नहीं होता।

मैं आपको यह झंडा भेंट करता हूं। यह प्रस्ताव इस झंडे की व्याख्या करता है। मुझे विश्वास है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। किसी विधिवत प्रस्ताव द्वारा तो नहीं वरन् सार्वजनिक प्रयोग तथा सम्मान द्वारा और अधिकतर उन बलिदानों द्वारा, जो पिछले दस वर्षों में इस झंडे के इर्द-गिर्द हुए, एक प्रकार से इस झंडे को स्वीकार कर लिया गया है। हम एक प्रकार से उस जन-साधारण की स्वीकृति की पुष्टि कर रहे हैं। यह वह झंडा है जिसका अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। कुछ लोग इसके महत्व को न समझकर साम्प्रदायिक रूप से सोचने लगे और यह विश्वास करने लगे कि अमुक भाग अमुक सम्प्रदाय का द्योतक है, इत्यादि। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जब इस झंडे का रूप विचारा गया था, उस समय इसके साथ कोई साम्प्रदायिक चीज न थी। हमने झंडे के एक ऐसे नमूने

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

पर विचार किया था जो सुन्दर हो, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक देखने में सुन्दर होना चाहिये। हमने उस झंडे का विचार किया जो अपने पूरे रूप में तथा पृथक-पृथक भागों में राष्ट्र की प्रवृत्ति का, राष्ट्र की परम्परा का—प्रवृत्ति और परम्परा के उस मिश्रित रूप का जो हजारों वर्षों से भारत में प्रचलित है—प्रतीक स्वरूप हो। अत: हमने यह झंडा रखा। शायद मैं पक्षपात कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं समझता कि यदि केवल कलात्मक दृष्टि से देखा जाये तो यह झंडा देखने में बहुत सुन्दर जंचे, परन्तु फिर भी इसमें अन्य अनेकों सुन्दर बातों का सादृश्य है—आत्मा सम्बन्धी तथा मन सम्बन्धी बातों का जो कि व्यक्तिगत जीवन तथा राष्ट्र के जीवन को महत्व प्रदान करती है—क्योंकि कोई भी राष्ट्र केवल भौतिक वस्तुओं के आधार पर जीवित नहीं रहता यद्यपि वे बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यह आवश्यक है कि हम संसार की अच्छी वस्तुयें प्राप्त करें, संसार की भौतिक वस्तुयें प्राप्त करें और हमारे लोगों के पास जीवन के आवश्यक उपकरण उपलब्ध हों। यह बहुत ही आवश्यक है। तो भी राष्ट्र और भारत जैसा राष्ट्र जिसका अतीत बहुत प्राचीन है, अन्य उपकरणों पर भी जीवित रहता है—और वे हैं आध्यात्मिक उपकरण। यदि हजारों वर्षों से भारतवर्ष इन आदर्शों तथा आध्यात्मिक बातों से सम्पर्क रखे हुए न होता तो भारत क्या होता? अतीत काल में उसने बड़े-बड़े कष्ट और निरादर सहे, लेकिन उस निराहत दशा में भी किसी प्रकार भारत ने अपना सर ऊंचा ही रखा, अपने विचार उच्च ही रखे और आदर्श ऊंचे ही रहे। इस प्रकार हम उस महान युग में से निकले हैं और आज हम अपने अतीत को गौरव सहित धन्यवाद देने में समर्थ हैं तथा इससे भी अधिक अपने उस भविष्य को जो आने वाला है, जिसके लिये हम कार्य करने जा रहे हैं और हमारे उत्तराधिकारी कार्य करेंगे। जो यहां एकत्रित हुये हैं उनको यह गौरव प्राप्त है कि वे एक ऐसे विशेष प्रकार से जो स्मरणीय रहेगा, इस परिवर्तन को अंकित कर रहे हैं। मैंने आरम्भ में यह कहा था कि इस प्रस्ताव को पेश करने का मुझे गौरव है। अब, श्रीमान् जी! मैं इस विशेष झंडे के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कहूं। यह देखा जायेगा कि उस झंडे से जिसे हममें से बहुत विगत वर्षों से प्रयोग में ला रहे थे इस झंडे में कुछ थोड़ा अन्तर है। रंग वही हैं गहरा केसरिया, सफेद और गहरा हरा। सफेद पट्टी में पहले चरखा था जो भारत के जन-साधारण का प्रतीक स्वरूप था, जो जन-समुदाय का प्रतीक स्वरूप था, जो उनके उद्योग का प्रतीक स्वरूप था और जो हमें महात्मा गांधी जी के संदेश द्वारा प्राप्त हुआ था। (*तालियां*) इस विशेष चरखे के प्रतीक को इस झंडे में थोड़ा-सा बदल दिया है—उसे हटाया नहीं गया है। यह अन्तर क्यों किया गया? साधारणतया झंडे पर एक ओर का चिह्न ऐसा होना चाहिये जो दूसरी

ओर से ठीक वैसा ही दिखाई दे, अन्यथा एक कठिनाई उपस्थित हो जाती है जो नियम के विरुद्ध है। चरखा जिस रूप में झंडे पर पहले था, उसका चक्र एक ओर था और तकुआ दूसरी ओर। यदि आप झंडे के दूसरी ओर से देखें तो चक्र इस ओर आ जाता था और तकुआ उस ओर। यदि ऐसा नहीं होता तो वह अनुपात में नहीं है क्योंकि चक्र लट्ठे की ओर होना चाहिये न कि झंडे के सिरे की ओर। यह व्यावहारिक कठिनाई थी। इसलिये यथेष्ठ विचार करने के बाद हमने वास्तव में यह धारणा की कि इस महान् चिह्न को, जिसने लोगों में उत्साह भरा है, रखा जाये, लेकिन वुछ परिवर्तन के साथ और वह यह कि चक्र को रखा जाये और अन्य शेष भाग को नहीं रखा जाये–अर्थात् तकुए और माल को जोकि गडबड़ी पैदा कर रहा था। चरखे का महत्वपूर्ण भाग चक्र वहां है ही। इस प्रकार चरखे और चक्र की प्राचीन परम्परा कायम रही। लेकिन चक्र किस प्रकार का होना चाहिये। हमारे दिमागों में अनेकों चक्र आये पर विशेषकर एक प्रसिद्ध चक्र जो कि अनेकों स्थानों पर था और जिसको हम सबों ने देखा है– अशोक की प्रमुख लाट के सिरे पर का तथा अन्य स्थानों का चक्र। वह चक्र भारत की प्राचीन सभ्यता का चिह्न है–वह और भी अनेक बातों का प्रतीक है जिनको इस काल में भारत ने अपनाया। अतः हमने सोचा कि इस चक्र का चिह्न वहां होना चाहिये और वही चक्र दिखाई देता है। मैं स्वयं तो बहुत प्रसन्न हूं कि इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से हमने इस झंडे के साथ केवल उस प्रतीक को ही नहीं अपनाया बल्कि एक प्रकार से अशोक के नाम को भारत के ही नहीं वरन संसार के इतिहास के एक बड़े महान् नाम को भी अपनाया। यह अच्छी बात है कि इस झगड़े फिसाद और असहिष्णुता के समय हमारा विचार उस बात की ओर हुआ जिसका प्राचीन काल में भारत हामी था और मैं आशा तथा विश्वास करता हूं कि भूल और त्रुटियां करने पर तथा समय-समय पर निराहत होने पर भी इस समस्त काल में प्रधान रूप से भारत इस विचार का हामी रहा। क्योंकि यदि भारत किसी महान् लक्ष्य को न अपनाता तो मेरे विचार से भारत जीवित भी न रहता और न इस दीर्घकाल तक अपनी सभ्यता मूलक परम्पराओं को जारी रख सकता था। वह अपनी सभ्यता मूलक परम्परा को जारी रखने में दृढ़ न रहा, बल्कि परिवर्तन करता रहा लेकिन उसके मुख्य सार को सदैव पकड़े रहा, नई प्रगति तथा नये प्रभावों के अनुसार अपने को ढालता रहा। भारत की यही परम्परागत प्रथा रही–सदैव नई कलियां और पुष्प खिलाता रहा–सदैव सद्बातों को ग्रहण करता रहा जो उसे प्राप्त हुई–कभी-कभी बुरी बातें भी ग्रहण की परन्तु अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रति सच्चा रहा। समस्त नये प्रभावों द्वारा हज़ारों वर्षों से हमारे ऊपर

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

असर पड़ा लेकिन हमने भी उनको खूब प्रभावित किया, क्योंकि आपको याद होगा कि अतीत काल का भारत कोई छोटा संकीर्ण देश नहीं था जोकि अन्य देशों को तुच्छ समझता हो। भारत अपने समस्त प्राचीन ऐतिहासिक काल में केवल अन्य देशों से अपना सम्पर्क ही न रखता रहा बल्कि वह एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र था जो अपने लोगों को अपने संदेश देने तथा दूसरों के संदेश लेने के लिये सुदूर देशों में भेजता था। यद्यपि अनेको परिवर्तन हुए, फिर भी भारत ने जिस आधाार को ग्रहण किया उस पर अटल रहने के लिये वह यथेष्ठ शक्तिशाली रहा। यह कहा जाता है कि भारत की शक्ति इसी मजबूत आधार में है। उसमें एक और आश्चर्यजनक गुण है, वह जिस बात को अपनाना चाहता है अपना लेता है। किसी बात को वह इसलिये नहीं त्यागता कि वह उसकी ग्रहणशक्ति के परे है, वह तो हर-एक बात को ग्रहण कर लेता है। किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र का यह सोचना मूर्खतापूर्ण है कि वह शेष संसार को दे सकता है उससे कुछ ले नहीं सकता। जब कोई राष्ट्र या कौम इस प्रकार सोचने लग जाती है तो वह रुक्ष हो जाती है, प्रगतिहीन हो जाती है, अवनति तथा विनाश को प्राप्त होती है। वास्तव में यदि भारत के इतिहास की खोज की जाये तो भारत की अवनति का काल वह होगा जबकि उसने अपने आपको सबसे पृथक कर लिया और बाहरी दुनिया की ओर देखना या उससे कुछ ग्रहण करना बन्द कर दिया। भारत का स्वर्णकाल वह था जब कि उसने सुदूर देशों में दूसरों को अपनाने के लिये अपने हाथ बढ़ाये, अपने राजदूत तथा गुप्तचर भेजे, अपने सौदागर और व्यापारिक एजेन्ट उन देशों को भेजे तथा दूसरे देशों के राजदूतों तथा गुप्तचरों का स्वागत किया।

चूंकि मैंने अशोक का उल्लेख किया है, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारतीय इतिहास में अशोक काल वास्तव में इतिहास का अन्तर्राष्ट्रीय काल था; वह संकीर्ण राष्ट्रीय काल न था। यह वह काल था जब कि भारतीय राजदूत सुदूर विदेशों में गये–साम्राज्य अथवा साम्राज्यवाद के रूप में नहीं; बल्कि शान्ति, सदाचरण और शुभकामना का संदेशा लेकर। (*तालियां*)

इसलिये जिस झंडे को आपको भेट करने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि वह झंडा साम्राज्य का साम्राज्यवाद का, किसी व्यक्ति पर आधिपत्य जमाने का नहीं, है वरन् वह एक स्वतंत्रता का झंडा है और वह भी केवल हमारी ही स्वतंत्रता का नहीं वरन् उन समस्त मनुष्यों की, जो भी इसे देखे, स्वतंत्रता का चिह्न है। (*तालियां*) मुझे आशा है कि यह

दूर-दूर तक पहुंचेगा, केवल वहीं नहीं जहां कि भारतवासी दूत तथा मंत्री के रूप में रह रहे हैं बल्कि समुद्र पार जहां कि भारतीय जहाजों द्वारा यह ले जाया जायेगा—चाहे जहां कहीं भी यह पहुंचे—यह मैं आशा करता हूं कि उन लोगों को स्वतंत्रता का संदेश देगा, मित्रता का संदेश देगा और यह संदेश देगा कि भारत संसार के प्रत्येक देश से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहता है और जो लोग स्वतंत्रता चाहते हैं उनकी सहायता करना चाहता है। (*वाह, वाह*) मैं आशा करता हूं कि इस झंडे का सब जगह यही संदेश होगा। मैं आशा करता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् हम वह कार्य नहीं करेंगे जो कि दुर्भाग्य से अन्य अनेकों ने अथवा कुछ औरों ने किया है अर्थात्, नई शक्ति प्राप्त करते ही यकायक साम्राज्यवाद के रूप को ग्रहण करना। यदि ऐसा हुआ तो हमारे स्वतंत्रता के संघर्ष का भयानक अन्त होगा। (*वाह, वाह*) लेकिन ऐसा संकट है इसलिये मैं इस हाउस को याद दिलाने का साहस करता हूं यद्यपि इस हाउस को इस प्रकार याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो देश एकदम बन्धनहीन होता है उसमें इस प्रकार से हाथ-पैर फैलाने तथा दूसरे पर बौछारें करने के संकट की संभावना होती है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम उन अन्य राष्ट्रों के समान हो जायेंगे जो कि लगातार एक प्रकार से संघर्षमय जीवन बिता रहे हैं तथा संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश आज का संसार ही ऐसा है।

किसी सीमा तक विगत कुछ महीनों से वैदेशिक नीति की जिम्मेदारी मुझ पर ही है और सदैव मुझसे यहां या दूसरी जगह यह पूछा जाता है कि ''आपकी वैदेशिक नीति क्या है? युद्ध-रत संसार में आप किस दल के साथी हैं?'' आरम्भ में तो मैं यह कहने का साहस करता हूं कि हम किसी दल के पक्ष में नहीं हैं। हमारा विचार है कि जहां तक हो सके हम शांति स्थापित करने वालों के रूप में कार्य करें क्योंकि और किसी प्रकार से सफल होने के लिये हम यथेष्ठ शक्तिशाली नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम संसार में राजनैतिक दलों की उलझनों से बचना चाहते हैं। हमारे इस प्रपंचमय संसार में ऐसा करना पूर्णतया सम्भव नहीं है लेकिन निश्चय ही हम इस उद्देश्य के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

इस प्रस्ताव में यह बताया गया है कि झंडे की चौड़ाई और लम्बाई का अनुपात साधारणतया 2 : 3 होगा। आपने ''साधारणतया'' शब्द पर ध्यान दिया होगा। अनुपात के लिये कोई पूर्ण सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि वही झंडा किसी विशेष अवसर पर किसी ऐसे अनुपात का हो जो कि और भी अधिक उपयुक्त हो या किसी अन्य अवसर पर किसी अन्य स्थान में इस अनुपात में थोड़ा-सा परिवर्तन

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

करना पड़े। इसलिये इस अनुपात की कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन साधारणतया 2:3 का अनुपात एक ठीक अनुपात है। कभी-कभी 2:1 का अनुपात इमारतों पर झंडा फहराने के लिये उपयुक्त होता है। अनुपात कुछ भी हो यह विषय इतना मुख्य नहीं है कि आपेक्षिक लम्बाई या चौड़ाई क्या हो, खास चीज तो उसका नमूना है।

श्रीमान्जी, अब मैं आपके सामने केवल प्रस्ताव ही उपस्थित नहीं करूंगा बल्कि स्वयं झंडे को भेंट करूंगा।

आपके सामने ये दो झंडे हैं, एक रेशम का जिसे मैं पकड़े हुये हूं और दूसरा जो उस ओर है, वह खादी का है।

मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं। (*तालियां*)

***अध्यक्षः** इस प्रस्ताव पर तीन संशोधनों की सूचनायें आई हैं।

***अनेक माननीय सदस्यः** नहीं, नहीं ।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रान्त तथा बरारः जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है किः

''निम्नलिखित नया पैरा इस प्रस्ताव में जोड़ दिया जायेः

'सफेद पट्टी के केन्द्र में चक्र के अन्दर स्वस्तिका, जो प्राचीन भारत का सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् का प्रतीक है, अंकित कर दी जाये'।''

जब मैंने यह संशोधन भेजा था, तो उस समय मैंने इस झंडे के नमूने को नहीं देखा था। उस समय मेरे मन में दो या तीन विचार प्रमुख थे। मैंने सोचा कि यह झंडा भारतवर्ष के नये भारतीय प्रजातंत्र का झंडा होने के नाते हमारी प्राचीन सभ्यता का और हमारी उस आत्मोन्नति का सच्चा चिह्न हो जिसने हमारे ऋषि मुनियों को उच्च जीवन प्रदान किया, संसार को शांतम्, शिवम्, सुन्दरम् का वह उपदेश दिया जो शांति का संदेश है–केवल अकर्मण्य शांति का संदेश नहीं, निष्क्रिय शांति का संदेश नहीं बल्कि उस शक्तिमान, गतिमान् शांति का संदेश–

जो बुद्धि से परे है– वह शांति जिसका गायन वाल्मीकि ने किया है–''समुद्र इव गांभीर्ये धैर्ये च हिमवानिव'' अर्थात समुद्र के समान गंभीर और हिमालय के सदृश धैर्यवान। श्रीमान्जी, मैंने सोचा कि यदि चक्र के अन्दर स्वस्तिका का चिह्न अंकित कर दिया जाता तो अशोक-चक्र के साथ यह हमारी प्राचीन सभ्यता का समुचित प्रतीक होता अर्थात् हमारी सभ्यता के प्रकट और अप्रकट दोनों स्वरूप रहते। धर्म-चक्र प्रकट प्रतीक होता और स्वस्तिका अप्रकट। लेकिन श्रीमान्जी, मैंने अभी झंडे को देखा और मैंने समझा कि इस चक्र के अन्दर स्वस्तिका को बैठाना कठिन है। चक्र में यह भद्दा लगेगा। चक्र धर्म-क्रम का या विश्व के चक्र का–संसार के चक्र का–चिह्न है जो कि शान्तम्, शिवम्, सुन्दरम, के सनातन सत्य पर घूमता है। यही सत्य संसार को स्थिर रखता है और उसमें हम विश्व का एक अंश बनकर रहते हैं, चलते-फिरते हैं और अपनी स्थिति रखते हैं। पंडित नेहरू ने हमारा शांति-प्रदायक तथा शांति-वाहक के रूप में परिचय दिया है। भारतवर्ष का अनादिकाल से सदा यह कर्त्तव्य रहा है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि ''हमने कभी अपने पड़ोसियों के खून में अपने हाथ नहीं रंगे हैं, हमारी सेनायें कभी दूसरे देशों में विजय की लालसा से नहीं गई और इस युद्ध-विक्षत, युद्ध-व्यथित संसार में हम सदैव शांति प्रदान करने वाले और शांति वहन करने वाले बने रहे।'' श्रीमान्जी, झंडे के नमूने को देखकर मैं यह अनुभव करता हूं कि स्वस्तिका को बैठाना बड़ा कठिन है, यद्यपि मैं उसको वहां देखने के लिये बड़ा लालायित था। स्वस्तिका झंडे को भद्दा बना देगी। इन कारणों से मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देना चाहता हूं और हाउस से अपने संशोधन को वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

***अध्यक्षः** मि. तजम्मल हुसैन!

***माननीय सदस्यगणः** वे उपस्थित नहीं हैं।

***अध्यक्षः** डाक्टर देशमुख!

डा. पी.एस. देशमुख (मध्य प्रान्त और बरारः जनरल): अध्यक्ष महोदय, पंडित नेहरू का इतना प्रभावशाली तथा भावमय भाषण सुनकर किसी को भी और अधिक कहने का साहस नहीं होता कि कहीं कोई बात उस भाषण के प्रभाव को कम न कर दे। हम सदैव उनकी बातों का आदर करते हैं और ऐसे भावमय प्रश्न पर तो हमारा आदर भक्ति वेग निकट पहुंच जाता है।

[डॉ. पी.एस. देशमुख]

मेरा संशोधन बड़े दृढ़ आधारों पर निर्भर था। वह किसी प्रकार भी जो वक्तव्य हमने अभी सुना है उसके विरोध में नहीं है। मेरा विचार था कि तिरंगे झंडे को चरखे समेत उसी रूप में जो कि अब तक था, रखा जाये। चरखा अहिंसा और सामान्य श्रमजीवी का प्रतीक है और हमारी राजनैतिक स्वतंत्रता और महात्मा गांधी से उसका तादात्म्य हो चुका है। लेकिन इस बात को सोचकर कि हाउस, जो झंडा पेश किया गया है, उसे ही स्वीकार करेगा, मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता; यद्यपि मैं अब भी यह सोचता हूं कि मेरे विचारों में बहुत अधिक सार था ।

***अध्यक्षः** श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने डाक्टर देशमुख के संशोधन में संशोधन करने की सूचना दी थी लेकिन चूंकि संशोधन पेश नहीं किया गया इसलिये उस पर संशोधन के रखे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब प्रस्ताव पर वाद-विवाद आरम्भ करेंगे।

श्री सेठ गोविन्ददास (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): सभापति जी, मैं पं. जवाहरलाल जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। आज का दिन मैं भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस मानता हूं। आज स्वतन्त्र भारत अपनी पताका को घोषित कर रहा है। आज जैसे पंडित जी को इन 27 वर्षों की घटनाओं का स्मरण हो आया उसी प्रकार जिन-जिन ने भी इस स्वतन्त्रता के संग्राम में गत 27 वर्षों से भाग लिया है उन सबका हाल है। हमने निहत्थे होते हुये भी, निःशस्त्र होते हुये भी, स्वतन्त्रता प्राप्त करने के कोई साधन न होते हुये भी इन 27 वर्षों के अपने स्वतन्त्रता-संग्राम को जिस प्रकार लड़ा है और लड़ने के पश्चात् उसमें जिस प्रकार विजय प्राप्त की है, वह केवल भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं किन्तु सारे संसार के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है और आज वह विजय हमें प्राप्त हो रही है जिसके लिये हम इतने वर्षों से लालायित थे। इन 27 वर्षों में अनेक बार इस झंडे को नीचा करने के लिये, अनेक बार उसे कुचलने के लिये, अनेक बार इसे जलाने के लिये, जो-जो आगे आये हैं उनका भी आज हमें स्मरण हो आता है, परन्तु जब सत्य हमारे साथ था, जब न्याय हमारे साथ था, तो इस झंडे का कुचला जाना, इस झंडे का रौंदा जाना, इस झंडे का इस प्रकार अन्त किया जाना सर्वथा असम्भव बात थी और 27 वर्षों के पश्चात् हमने यह संसार को सिद्ध कर दिया कि निःशस्त्र राष्ट्र भी-जिसके पास कोई साधन न हो-ऐसा राष्ट्र भी न्यायपूर्ण मार्गों से चले, सत्यपूर्ण मार्गों से चले तो स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है।

मुझे आज वह दिन स्मरण आ रहा है जब पहले-पहले सन् 1922 ई. में पं. मोतीलाल जी नेहरू जबलपुर पधारे थे। जबलपुर मेरा निवास-स्थान है। सबसे पहले सारे भारतवर्ष में यह झंडा–उस समय इसका लाल, सफेद और हरा रंग था, परन्तु तिरंगा झंडा अवश्य था–उस समय सबसे पहले सारे भारतवर्ष में झंडा जबलपुर के सार्वजनिक भवन टाउन हाल पर पहले-पहले उड़ाया गया था। पं. जवाहरलाल नेहरू को देखकर किसे पं. मोतीलाल जी का स्मरण न हो आता होगा? उस हाउस आफ कामन्स में यह सवाल उठा था कि जबलपुर के इस सार्वजनिक भवन पर यह झंडा किस तरह से उड़ाया गया और उस समय जो ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री थे उन्होंने इस बात का हाउस आफ कामन्स को आश्वासन दिया था कि भविष्य में इस प्रकार की घटना भारत में न हो सकेगी। परन्तु आज मुझे देखकर आनन्द हो रहा है कि 25 वर्ष पहले मेरे निवास स्थान जबलपुर में, जहां सबसे पहले एक सार्वजनिक भवन पर यह झंडा उड़ाया गया था, वहां आज सारे सार्वजनिक भवनों पर यह झंडा उड़ेगा। यह हर भारतीय के लिये गौरव की बात होगी।

इस झंडे के तीन रंगों में साम्प्रदायिकता नहीं है, यह बात पंडित जी ने अपने भाषण में आपको समझा दी। एक समय ऐसा अवश्य था जब इसके जो तीन रंग थे लाल, सफेद और हरा उसमें साम्प्रदायिकता थी। लेकिन जब हमने लाल, सफेद और हरे रंग को परिवर्तित कर केसरिया, श्वेत और हरे रंग को ग्रहण किया उस समय हमने इस बात को स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया था कि अब जो तीन रंग हमारे झंडे में रहेंगे उनमें साम्प्रदायिकता का लवलेश नहीं है। उस समय हमने इन तीन रंगों का क्या अर्थ होगा, यह भी घोषित किया था और इस समय साम्प्रदायिकता से जो मदमत्त हो रहे हैं, साम्प्रदायिकता से जो पागल हो रहे हैं उनसे मैं कहता हूं कि वे इस झंडे को साम्प्रदायिक न माने। इस झंडे के बीच में अशोक चक्र है, यह आप देखते हैं। अशोक का हमारे इतिहास में कितना बड़ा स्थान रहा है यह पंडित जी ने आपको बतलाया। अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात् प्रेम-सूत्र से सारे संसार को सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया और वह प्रयत्न इतना सफल हुआ कि आज केवल इस देश के ही नहीं बल्कि सारे संसार के इतिहासकार भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अशोक के सदृश सम्राट इस संसार में कोई नहीं हुआ। एच. जी. वेल्स ने संसार के इतिहास पर जो पुस्तक लिखी है उसमें यह स्वीकार किया है कि सम्राटों के रक्तपान भरे जीवन में एक अशोक का जीवन ऐसा है जिसने सारे संसार को प्रेम-सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। जिस समय हम इसके रंगों को देखते हैं हमें दूसरी बातों का भी स्मरण करना चाहिये। जो लोग कहते हैं कि भगवा रंग

[सेठ गोविन्ददास]

हिन्दुओं का है उनसे मेरा कहना है कि यह गलत है। एक जमाने में भगवा रंग हिन्दुओं का रंग अवश्य रहा है। पेशवाओं के समय में भगवा हिन्दुओं का रंग था, परन्तु हम इतिहास की दूसरी घटनाओं को देखें तो हमको मालूम होगा कि किसी समय केसरिया रंग भी हिन्दुओं का रंग रहा है। जितने राजपूतों के स्वातन्त्र्य-संग्राम हुये उनमें केसरिया बाना और केसरिया झंडा रहा और यदि हम और अधिक प्राचीनता की ओर बढ़ते जायें तो हमें मानना पड़ेगा कि क्या केसरिया रंग, क्या भगवा रंग, यह प्राचीनतम रंग नहीं था। महाभारत के समय आपको मालूम होगा कि रंगों का कोई प्रश्न नहीं था। उस समय अर्जुन के रथ पर वह पताका उड़ती थी जिसमें हनुमान का चिह्न बना रहता था, कर्ण के रथ पर हाथी की पताका रहती थी इसलिये किसी रंग को हिन्दुओं का प्राचीन कहना यह एक ऐतिहासिक भूल है। मैं कहना चाहता हूं कि इन 27 वर्षों के अपने इस स्वतंत्रता के संग्राम में जिन रंगों के नीचे हमने स्वतंत्रता की स्थापना की है, इतने बड़े संग्राम भी लड़े हैं, वही आज स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात फिर हमारा राष्ट्रीय झंडा हो, यह एक स्वाभाविक बात है। मुझे यह देखकर दु:ख होता है कि इस समय जो लोग साम्प्रदायिकता से मदमत्त हैं वह कुछ ऐसी घटनायें कर रहे हैं जो आगे चलकर मुझे विश्वास है कि जब यह ठंडे दिमाग से विचार करेंगे तो इन्हें स्वयं अत्यंत लज्जाजनक प्रतीत होगी। अभी परसों की बात है दिल्ली में हिन्दी के सम्बन्ध में एक सभा हुई। देवनागरी लिपि और हिन्दी ही राष्ट्रभाषा बने, इस प्रकार का प्रस्ताव उस सभा में आने वाला था। वहां हुल्लड़बाजी हुई। इतना ही नहीं कई मोटरों पर जो राष्ट्रीय झंडे लगे हुये थे, उन्हें निकाल कर फेंक दिया गया। मैं कहता हूं कि साम्प्रदायिकता से मदमत्त होकर इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार झंडे का अपमान करना सारे राष्ट्र का अपमान करना है। इस देश में मानव रहते हैं, देवता नहीं जिनमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों का समावेश है। इस प्रकार की घटनायें यदि घटती हैं तो जिस शांति का, जिस धर्म का और जिस आनन्द की बातों का यह झंडा द्योतक है वे हमारे देश में न रह सकेंगे। इसलिये मैं इन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं। साम्प्रदायिकता से जो लोग मतदत्त हैं उन्हें मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बातें तो न करें। अगर हम हरे रंग पर दृष्टि डालें तो हमें मालूम होगा कि एक समय ऐसा था कि यह रंग भी स्वतंत्रता-संग्राम के झंडे का रंग था। सन् 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम की मैं आपको याद दिलाता हूं। उस समय हमारे झंडे का हरा रंग ही था, जिसके नीचे हमने इस संग्राम को लड़ा था। उस समय यह हरा रंग न केवल मुसलमानों का रंग था, न केवल हिन्दुओं का रंग था, बल्कि जितने लोग उस स्वतंत्रता के

संग्राम में जूझे थे उन सबका रंग था। इसलिये किसी रंग विशेष के विरुद्ध होना, इस समय जब सारा भारतवर्ष स्वतंत्र हो रहा है और जब सारे भारतवर्ष में यह झंडा फहरायेगा, तो इससे ज्यादा दु:ख की बात नहीं हो सकती। इस झंडे को हमने विश्व विजयी कहा है और सारे विश्व को इस झंडे से प्रेम करने की बात कही है। विश्व को हम अहिंसा और प्रेम से जीतना चाहते हैं। इसी का यह द्योतक है। जब हम यह कर लेंगे उस समय हमारा प्रण पूरा होगा। मैं हृदय से इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले** (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके सामने हमारे महान राष्ट्रीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बड़ी योग्यता के साथ उपस्थित किये गये प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा होता हूं। पंडित जी ने इस महान् देश की स्वतंत्रता के युद्ध में एक बड़ा भाग लिया है।

श्रीमान् जी, उन्होंने इस झंडे के महत्व को हमें समझा दिया है। इस झंडे को ऊंचा रखना और इसकी रक्षा करना लाखों मनुष्यों का कर्तव्य है जो इस देश में रहते हैं। यह धनिकों का झंडा नहीं है बल्कि यह दलित, पीड़ित और निम्न वर्गों का झंडा है जो समस्त देश में व्याप्त हैं।

श्रीमान् जी, मैं केन्द्र में चक्र के समावेश का विशेषतया स्वागत करता हूं। महात्मा गांधी ने हमें वह महान मंत्र दिया है जो कि चरखे के मूर्त रूप में है। हममें से जिन लोगों ने चरखे को अपनाया उन्हें आज गौरव है कि देश में कई शताब्दियों के राजनैतिक संघर्ष के पश्चात् इस देश के लिये एक झंडा बना जो इन शताब्दियों में न था।

मैं सारनाथ में अशोक के सिंह-स्तम्भ के समावेश का भी स्वागत करता हूं। महात्मा बुद्ध की महान् व्यवस्था के पश्चात् अशोक ने मानवता के लिये समस्त सहानुभूति से भी सर्वोपरि महान् ''पंचशीलम्'' हमें प्रदान किया है।

हरिजन तथा अन्य सब जातियां, जोकि समाज में निम्न स्थान प्राप्त किये हुये हैं, अनुभव करती हैं कि जो विधान इस परिषद् द्वारा बनाया जा रहा है वह निम्न श्रेणियों के लाखों व्यक्तियों के लिये सांत्वना प्रदान करेगा। इस झंडे को स्वीकार कर लेने के पश्चात् श्रीमान् जी, मैं समझता हूं कि महात्मा बुद्ध के सिद्धांत का जिसने कि पीड़ित जन समाज के लिये महान् सहानुभूति का वास्तविक प्रदर्शन किया, यथार्थ रूप में पालन किया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौ. खलीकुज्जमां: जनाब सदर, मैं इस तजवीज की ताईद करने के लिये आया हूं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अभी आपके सामने पेश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से हर वह शख्स जो हिन्दुस्तान का बाशिन्दा अपने आपको कहता है, ख्वाह वह हिन्दू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, इस फ्लैग को जो यहां से मंजूर होकर हिन्दुस्तान का फ्लैग करार पायेगा बहैसियत शहरी के इज्जत व वकार बढ़ाने के लिये हर कुर्बानी पेश करेगा। (*तालियां*) मैं उस तारीख को जो निहायत गलत है, दुहराना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इन वाकयात को हम अपनी तरफ से अपने ख्यालों से भुला दें और इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि अक्सरियत भी गुजिस्ता वाकियात को अपने दिलों से महव कर देगी। हम आज हिन्दुस्तान और इण्डिया की एक नई तारीख बनायें जिसमें हर शख्स जिसको तामीर में दिलचस्पी हो, उसमें खलूस हो और उसकी इज्जत और वकत हो, अपनी कौम की इज्जत और वकार को समझें, मैं जानता हूं कि देखने में कोई फ्लैग तो एक कपड़े का टुकड़ा है, मगर किसी मुल्क का झंडा उसका नसबुल ऐन उसका इखलाकी और रूहानी जजबात का मजहर होता है। मुझे खुशी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस झंडे की ताईद की है उससे किसी शख्स को भी जो हिन्दुस्तान का अपने आपको बाशिन्दा कहलाता है, इख्तलाफ राय रखने की कोई गुंजायश नहीं है। लिहाजा जिस नुक्तानजर से भी देखा जाये मैं समझता हूं कि आज जो कदम बढ़ाया गया है उससे हमारे हिन्दुस्तान की बुनियाद मजबूत होगी और इस झंडे को लहराने में हर मुसलमान, हिन्दू, ईसाई फख्र करेगा, और इस झंडे की इज्जत करेगा। (*तालियां*) इन चन्द अलफाज के साथ मैं इसकी ताईद करता हूं।

***सर एस. राधाकृष्णन्** (संयुक्त प्रांत : जनरल): अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रभावात्मक रूप से इस झंडे और प्रस्ताव को उपस्थित किया है उसके पश्चात् मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। झंडा अतीत और वर्तमान की संधि है। हमारी स्वतंत्रता के उन निर्माताओं द्वारा छोड़ी हुई यह पैतृक सम्पत्ति है जो इस झंडे के नीचे लड़े और जो भारत में स्वतंत्रता के इस महान् दिवस के लाने के भागी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको यह बताया कि यह दु:ख-विहीन सुख का दिन नहीं है। कांग्रेस ने एकता और स्वतंत्रता के लिये युद्ध किया। एकता संकट में डाल दी गई है और यदि हम उन कर्तव्यों को जो हमारे सामने हैं साहस, शक्ति और दूरदर्शिता से पालन न कर सके तो मेरे विचार से स्वतंत्रता भी संकट में डाल दी जायेगी। यदि इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना है और यदि देश उस एकता और स्वतंत्रता के आदर्श को, जिसके लिये उसने संघर्ष किया, प्राप्त करना चाहता है तो आज हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम अपने में नये बल और नये चरित्र

का संचार करें। बड़ा कठिन समय है। सर्वत्र हम कल्पना द्वारा नष्ट हो रहे हैं। हमारे मस्तिष्क मिथ्या कल्पनाओं से भरे हुये हैं। संसार मिथ्या भ्रम, शंका और अविश्वास से भरा पड़ा है। इन संकट के दिनों में यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस झंडे के नीचे लड़ें। यहां हम ठीक केन्द्र में श्वेत सूर्य की किरणों के श्वेत रंग की पट्टी रख रहे हैं। श्वेत का अभिप्राय प्रकाश के मार्ग से है। दोपहर में भी अंधेरा होता है जैसा कि कुछ लोगों ने जोर दिया है लेकिन हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम इन अंधकार के बादलों को हटायें और उस आदर्श प्रकाश द्वारा अपने आचरण का नियंत्रण करें जो सत्य का, पारदर्शी साधुता का प्रकाश है और जो कि श्वेत रंग द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

जब तक हम सत्पथ पर न चलें, हम न पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं और न अपने सत्य के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अशोक का चक्र हमारे लिये न्याय का चक्र है, धर्म का चक्र है। सत्य केवल धर्म-पथ के अनुसरण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जो इस झंडे के नीचे कार्य करें उन सबका अटल सिद्धान्त सत्य और धर्म होना चाहिये। यह (चक्र) हमको यह भी बताता है कि धर्म वह वस्तु है जो सदैव गतिमान है यदि निकट अतीत में इस देश ने हानि उठाई तो वह परिवर्तन के मार्ग में हमारे विरोध के कारण थी। हमें सदैव इतनी चुनौतियां दी गई कि यदि हममें समयानुकूल चलने का बल और साहस न होता तो हम पीछे रह जाते। जाति और अस्पृश्यता के समान आधारों पर अनेकों संस्थायें हमारी सामाजिक रचना में आ गई हैं। जब तक इनको दूर नहीं किया जाता हम नहीं कह सकते कि हम सत्य या धर्म प्राप्त कर लेंगे, यह चक्र जो गतिमान है, जो सदैव घूमने वाली वस्तु है यह सूचित करता है कि स्थिरता में मृत्यु है। जीवन गति में है। हमारा धर्म सत्य सनातन है। इसका यह आशय नहीं कि वह स्थिर है बल्कि यह आशय है कि वह सदैव परिवर्तनशील है। उसकी निर्बाध अविच्छिन्नता ही उसका सनातन लक्षण है। इस कारण हमारी सामाजिक दशाओं को विचारते हुये भी यह आवश्यक है कि हम आगे बढ़ें।

लाल, नारंगी और भगवा रंग त्याग की भावना प्रदर्शित करता है। यह कहा गया है कि ''सर्वे त्यागा राजधर्मेशु दृष्टा'' अर्थात् त्याग के समस्त रूप राजधर्म के अंतर्गत हैं। दार्शनिक को राजा होना चाहिये। हमारे नेताओं को निष्पक्ष होना चाहिये। उनको कर्तव्य परायण होना चाहिये। वे ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जिनमें त्याग की भावना कूट-कूटकर भरी हो—वह त्याग जो कि हमारे इतिहास के आरम्भ काल से ही इस केसरिया रंग ने हममें भरा है। यह इस सत्य को सिद्ध करता है कि संसार धनाढ्यों का नहीं है, सम्पन्न व्यक्तियों का नहीं है बल्कि दीन-हीन, कर्तव्य-परायण और विरागियों का है। वैराग्य और त्याग की वह भावना

[सर एस. राधाकृष्णन्]

नारंगी या केसरिया रंग से प्रदर्शित की गयी है और महात्मा गांधी ने अपने जीवन में हमारे लिये उसका समावेश किया है और कांग्रेस ने उनके संदेश और उनकी नीति का अनुसरण किया है। यदि इस कठिन समय में हममें त्याग की भावना नहीं रहती तो हमारा फिर पतन होगा।

हरा रंग–भूमि से हमारा सम्बन्ध–यहां के वनस्पति जीवन से हमारा सम्बन्ध जिस पर कि अन्य समस्त प्राणीमात्र निर्भर हैं, प्रकट करता है। हमको इसी हरित भूमि पर यहीं अपना स्वर्ग बनाना चाहिये। यदि हमें इस प्रयत्न में सफल होना है तो हमें सत्य (श्वेत) का अनुसरण करना चाहिये। धर्म (चक्र) का पालन करना चाहिये। आत्म-नियंत्रण और त्याग (केसरिया) की नीति ग्रहण करनी चाहिये। यह झंडा हमें आदेश देता है कि ''सदैव तत्पर रहो, सदैव प्रगति करते रहो, आगे बढ़ो; स्वतंत्र, परिवर्तनीय, दयावान, सभ्य और प्रजातंत्रात्मक समाज की स्थापना करने का प्रयत्न करो जिसमें ईसाई, सिख, मुसलमान, हिन्दू और बौद्ध सभी शरण पा सकें।''

आपको धन्यवाद।

(*घोर करतल ध्वनि*)

***डा. मोहन सिंह मेहता** (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, जबकि मैं अपने स्थान से अपने महान नेता का इस महान विषय पर भाषण सुन रहा था तो मेरे मन में प्रथम यह विचार उठा कि इस विषय पर भाषण नहीं होने चाहियें और इस प्रस्ताव को हाउस के प्रत्येक विभाग द्वारा हर्षध्वनि पूर्वक स्वीकृत कर लेना चाहिये लेकिन चूंकि ऐसा न हो सका और कुछ भाषण हुये–सौभाग्यवश किसी संशोधन पर विचार नहीं हुआ–मैं यहां आने और प्रस्ताव के पक्ष में कुछ शब्द कहने का साहस करता हूं।

श्रीमान् जी, मैं यह कहूंगा कि जो प्रस्ताव हमारे सामने हैं उसे भारतीय रियासतों का समर्थन प्राप्त है। (*तालियां*) हमारे एक प्रतिनिधि एक विख्यात प्रधान मंत्री ने उस कमेटी के विचार-विमर्श में भाग लिया जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस प्रस्ताव को हमारे समक्ष रखा है।

श्रीमान् जी, यह एक ऐतिहासिक अवसर है जबकि स्वतंत्र भारत अपना राष्ट्रीय झंडा स्वीकार कर रहा है और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि भारतीय रियासतों की एक बहुत बड़ी संख्या भारत का प्रधान अंग है और रहेगी। (*तालियां*)

श्रीमान् जी, जब मैं अपने स्थान से पंडित नेहरू का भाषण सुन रहा था–इस कमरे की गहरे रंग की चौखट में पंडित नेहरू को अपने उज्जवल धवल परिधान में देखकर मैंने अपनी कल्पना में प्रस्ताव के विषय की साकारता का अनुभव किया। पंडित नेहरू को भली प्रकार समझ कर मुझे विश्वास है कि मैं कोई अत्युक्ति नहीं कर रहा हूं जब कि मैं यह कहता हूं कि उन्होंने अपने स्वरूप में स्वयं इस प्रस्ताव के विषय के महत्व का प्रदर्शन किया।

जबकि वे झंडे के अंग और रूपरेखा की व्याख्या कर रहे थे, विशेषकर जब कि वे अशोक स्तम्भ के चक्र पर आये, मैंने सोचा कि वे इसे भारतीय रियासतों का भारतीय संघ में आने का प्रतीक भी बतायेंगे। श्रीमान् जी, अनेक वर्षों बाद भारत, भारत के लिये और भारतीयों द्वारा शासित होगा। पंडित नेहरू ने यह भी बताया कि यह स्वशासन का प्रतीक है। लेकिन आप मेरी इस बात के लिये मुझे क्षमा करेंगे कि भारत के, जिसे आप चित्र में पीला रंगते हैं, एक बड़े भाग में स्वशासन के आदर्श का निर्वाह भारतीय रियासतों में हो रहा था। कृपा कर राजनीति सम्बन्धी दर्शनशास्त्र के आधार पर इस बात का विश्लेषण न करें। हम भारत के झंडे पर वाद-विवाद कर रहे हैं न कि अव्यावहारिक सिद्धांतों अथवा राजनैतिक प्रथाओं पर बल्कि उन बातों पर जो कि विशेषतया लाक्षणिक हैं और भावात्मक हैं। क्या मेरा यह कहना बिल्कुल असत्य है कि अशोक का चक्र भारतीय रियासतों का प्रतीक है? क्योंकि अशोक के काल से समस्त देश भारतीय शासन के आधिपत्य में भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिये शासित नहीं रहा। किसी प्रकार हममें से कुछ इस झंडे की ओर इसी भावना से देखेंगे। अतः मैं यहां केवल अपनी ओर से ही नहीं बोल रहा हूं बल्कि अनेकों रियासतों की ओर से भी बोल रहा हूं। यद्यपि मैंने उनसे विचार-विमर्श नहीं किया है, फिर भी मुझे विश्वास है कि वे मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि यह झंडा चाहे किसी भवन पर फहराये, चाहे विदेशी समुद्रों की उत्ताल तरंगों पर फहराये वह भारतीय संघ की संयुक्त भावनाओं का प्रतिनिधि होगा। चाहे हम किसी पूजा-स्थल में जायें, चाहे हमारे नाम और नामकरण परिभाषाओं में अन्तर हो, हम सब भारतीय हैं और यह हमारा झंडा है।

श्रीमान् जी, मैं हृदय से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री मोहम्मद शरीफ** (मैसूर): श्रीमान् जी, मुझे खेद है कि भारतीय झंडे के विषय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सराहनीय ढंग से पेश किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ वादानुवाद उत्पन्न हो गया है। कुछ लोगों ने सुझाया है कि इस झंडे के रंगों में कुछ परिवर्तन होना चाहिये। कुछ लोग चाहते हैं कि.....

कुछ माननीय सदस्यः नहीं, नहीं बहुत अच्छा।

***श्री मोहम्मद शरीफः** उस भावना का आदर करते हुये जिससे प्रेरित होकर महानुभावों ने यह निवेदन किया, मैं स्वयं तो यही कहूंगा कि जहां तक झंडे का सम्बन्ध है यह उत्तम झंडा है और पंडित जवाहरलाल ने आज सुबह प्रस्ताव के पक्ष में जो कुछ भी कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमान् जी, श्वेत, केसरिया और हरे रंग निःस्वार्थता, पवित्रता और त्याग के द्योतक हैं। बड़े-बड़े महत्वपूर्ण आध्यात्मिक महत्व इन रंगों के साथ जुड़े हुये हैं। इन रंगों का सब लोग आदर करते हैं, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, इसाई हो या पारसी हो। चक्र जोकि झंडे के केन्द्र में है गति, प्रगति तथा उन्नति का प्रतीक है। ललित कला तथा अन्य बातों में भी यह भारत की बौद्धिक परम्परा और सभ्यता के उपयुक्त है। जैसा कि चौधरी खलीकुज्जमा ने कहा है, यह वह झंडा है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये, जो भारत में रहता है और रह रहा है, आदरणीय है। इन शब्दों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का समर्थन करने में मुझे हर्ष है।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहारः जनरल): मैं प्रस्ताव रखता हूं कि अब इस विषय पर वोट ली जायें।

***माननीय सदस्यगणः** अब इस विषय पर वोट ली जायें।

***अध्यक्षः** मेरे पास 25 वक्ताओं के नाम हैं, क्योंकि यह ऐसा ही अवसर है जबकि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाव व्यक्त करना चाहेगा। लेकिन मेरे विचार से अब इस विषय पर और अधिक वाद-विवाद करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कहा जा सकता था। वह हमने सदस्यों से सुन ही लिया। इसलिये मैं अब इस पर विवादान्तक प्रस्ताव रखना चाहूंगा।

***मि. तजम्मुल हुसैन** (बिहारः मुस्लिम): श्रीमान् जी, विवादान्तक प्रस्ताव रखने के पूर्व मैं यह निवेदन करूंगा कि और भी अधिक भाषण देने की आज्ञा होनी चाहिये, क्योंकि ऐसे अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्य प्रान्त और बरारः जनरल): श्रीमान् जी, यह स्मरणीय दिवस है और जो कोई बोलना चाहे उसे अवसर मिलना चाहिये।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय** (बिहार : जनरल): श्रीमान् जी, हर रोज हम राष्ट्रीय झंडा स्वीकार नहीं करेंगे। इस कारण यह उचित है कि यदि कुछ और सदस्य बोलना चाहते हैं तो उन्हें आज्ञा दी जाये।

***पंडित गोविन्द मालवीय** (संयुक्त प्रान्त: जनरल): श्रीमान् जी, आज के सम्पूर्ण दिवस को हम झंडा-दिवस रखें।

***अध्यक्ष:** मैं पूर्णतया हाउस के हाथों में हूं। यदि आप और अधिक भाषण नहीं चाहते हैं तो मैं यहीं बन्द कर दूंगा और यदि सदस्यगण बोलने के लिये और अधिक अवसर चाहते हैं, तो जो नाम मेरे पास हैं उनको मैं क्रमानुसार लूंगा।

***श्री बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्त प्रांत: जनरल): हम अपनी वृद्धा माता का भाषण सुनना चाहते हैं।

***मि. तजम्मुल हुसैन:** हम बुलबुले हिंद का भाषण सुनना चाहते हैं।

***अध्यक्ष:** मैं उनको सबके अन्त में बुलाऊंगा। मैं समझता हूं कि उनका बड़ा मधुर भाषण होगा और अपनी पुरानी प्रथा के अनुसर हमें मीठे से अन्त करना चाहिये। (*तालियां*) मि. सादुल्ला अब भाषण देंगे।

***मौलवी सैयद मोहम्मद सादुल्ला** (आसाम : मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बुद्धिमत्तापूर्ण सुन्दर भाषण और अन्य क्षेत्रों के भाषणों पर विचार करते हुये इस वाद-विवाद में मेरे भाग लेने की कोई आवश्यकता न थी। मेरे खड़े होने का कारण यह है कि मैं अपनी स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट करना चाहता हूं। यद्यपि इस परिषद् के मुसलमान सदस्यों का प्रथम दिवस स्वागत किया गया था फिर भी कुछ सदस्यों द्वारा वे उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं और उन पर विश्वास नहीं किया जाता। जब तक कि हम अपने कुछ विचारों का परित्याग न करें जिन्हें हम अपनाये हुये हैं, हमें इस विशाल परिषद् में भाग लेने से वंचित रखने के प्रयत्न किये गये। मैंने समाचार पत्रों में कुछ ऐसे समाचार देखे हैं कि इस विधान परिषद् में मुसलमानों की आवश्यकता नहीं है। कुछ समाचार पत्रों ने तो यहां तक लिख मारा कि मुसलमान पंचमवर्गीय हैं और विधान में अडंगा लगाने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी है कि पंडित नेहरू के प्रस्ताव पर उस भारतीय संघ के प्रति, जिसमें कि संयोगवश जन्म लेने और निवास करने के कारण हम सम्मिलित हैं, अपनी निष्ठा की उच्च घोषणा द्वारा हमें कलंक धोने और अविश्वास मिटाने का अवसर मिला है। यह इस्लाम की आज्ञा है और लीग की हाई कमांड ने आदेश द्वारा इसकी पुष्टि की है कि हम जहां कहीं भी हों हम

[मौलवी सैयद मोहम्मद सादुल्ला]

वहां की सरकार के प्रति सद्भाव तथा भक्ति रखें। उस सिद्धांत का पालन करते हुये मैं इस झंडे का, जिसे कि पंडित नेहरू ने हाउस को भेंट किया, अभिवादन करता हूं।

मेरी राय में झंडा हमारी अभिलाषाओं के विकास का प्रतीक है, हमारे संघर्षों की सफलता है और हमारे त्याग का अन्तिम फल है। यदि मुझे प्रकृति से उपमा देने की आज्ञा दी जाये तो केसरिया पृथ्वी की दशा बतलाता है—वह तप्त दशा जो कि भारतीय सूर्य की भीषण ताप द्वारा हो जाती है। जब कि मोती समान श्वेत स्वच्छ जल-वृष्टि होती है और वह जल बरफ से ढकी हुई पहाड़ियों से नदियों में आता है तो हमारी मरुभूमि भी विहंसित हरित भूमि में परिवर्तित हो जाती है जिसकी उपज हमें जीवित रखती है और जन-समुदाय की वृद्धि के लिये उत्पादन करती है। इसी प्रकार हमारे राजनैतिक संघर्ष में कष्टमय दिवस आये लेकिन उसके पश्चात् आशाजनक समय आया और आज का दिन इस झंडे को इस हाउस में फहरा कर हमें उस उच्च स्थान पर ले गया है जो कि हमारे अतीत के संघर्षों का अभीष्ट था। श्रीमान् जी, मुझे हर्ष है कि झंडा वैसा ही रहा और जो संशोधन रखे गये थे वे पेश नहीं किये गये क्योंकि इस झंडे के विभिन्न रंगों में भारत का प्रतिनिधित्व हुआ है। भारत अपनी आध्यात्मिकता के लिये प्रसिद्ध है। सर्वत्र यह स्वीकार किया गया है कि भारतवर्ष के पास संसार के भिन्न-भिन्न देशों को देने के लिये एक महान् आध्यात्मिक संदेश है। केसरिया रंग, जैसा कि प्रसिद्ध है, उन लोगों का रंग है जो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। केवल हिंदुओं में ही नहीं वरन् मुसलमानों में भी। अतः केसरिया रंग हमें याद दिलाता है कि हम अपने को त्याग के उस ऊंचे स्तर पर रखें जिस पर हमारे साधु, संन्यासी, पीर और पंडित रहे हैं। मैं इसलिये झंडे में इस रंग के समावेश का स्वागत करता हूं।

इसके बाद मैं सफेद भाग को लेता हूं। दोनों हिन्दू और मुसलमानों में श्वेत रंग पवित्रता का चिह्न है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस उत्तम विचार के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने मत का चिह्न सफेद टोपी रखा है। इस झंडे का श्वेत भाग हमें यह याद दिलाता रहे कि हम केवल शब्दों में ही नहीं वरन् कर्मों में भी पवित्र रहे। हमारे जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत रूप में तथा राज्य के भी सम्बन्ध में, पवित्रता हो।

अन्त में श्रीमान् जी, हरा रंग मुझे इस बात की याद दिलाता है कि यह भारतीय स्वतंत्रता की उमंग का चिह्न है। हरा उस झंडे का रंग है जो सन् 1857 ई.

में बहादुरशाह ने खड़ा किया था। लेकिन मुसलमानों के लिये तो इसमें इससे भी अधिक महत्वपूर्ण भावनायें हैं, क्योकि तेरह शताब्दियों के पूर्व अरब के बड़े पैगम्बर के समय से मुसलमानों के झंडे का यही रंग रहा है। कुछ लोगों को संभव है खेद हो कि चरखे की जगह, जो कि जनता का चिह्न था, अशोक का धर्म-चक्र है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह अधिकारियों को वास्तव में दैविक प्रेरणा मिली कि उन्होंने चरखे के स्थान में चक्र रखा। यद्यपि चरखा हमारी आत्म साहाय्य और जनसमुदाय से निकट सम्पर्क स्थापित करने का चिह्न था और महात्मा के संदेश द्वारा हमारी क्रियाओं में प्रविष्ट हो चुका था, फिर भी बाद में चरखे के आदर्श को दूषित कर दिया गया, महात्मा गांधी के आदेश और प्रेरणा से विमुखता हुई और जो अहिंसा के चिह्न चरखे को धारण किये हुये थे वे अपने कार्यों में बड़े हिंसावादी बने, जिनको एक बार अपने को एक बड़े संकट में डाल कर पंडित नेहरू ने शांत किया। अशोक का धर्म चक्र भारत के महान् बौद्ध सम्राट के समय में लोगों की दशा की हमें याद दिलाता है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिये राज नहीं किया बल्कि अपनी प्रजा के संतोष, शांति और प्रसन्नता के लिये राज किया। यह चिह्न, जो कि हमारे राष्ट्रीय झंडे में है, भारतीय संघ के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक शासक को यह याद दिलाता रहे कि हम अतीत को भूल जायें और भविष्य की ओर देखें और उस महान् बौद्ध सम्राट अशोक की परंपरा को कायम रखने का प्रयत्न करें। हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिये कि हम यहां केवल अपने भौतिक लाभ के लिये ही नहीं हैं बल्कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिये भी हैं। यह चक्र धार्मिक चिह्न है और हम अपने धार्मिक वातावरण से अपने सामाजिक जीवन का विच्छेद नहीं कर सकते हैं।

श्रीमान् जी, इन शब्दों के सहित, जो कि केवल मेरे ही नहीं हैं बल्कि मुस्लिम लीग पार्टी के डिप्टी लीडर की हैसियत से तथा भारतीय संघ के एक सुदूरवर्ती छोटे से प्रान्त आसाम के निवासी की ओर से भी हैं, मैं भारतीय स्वतंत्रता के चिह्न स्वरूप इस झंडे का अभिवादन करता हूं।

***डा. एच.सी. मुकर्जी** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): अध्यक्ष महोदय, जबसे ईसाई समुदय ने यह समझा कि वह वास्तव में एक भारतीय जाति है, तभी से उसके बड़े-बड़े नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीयता को पूर्णतया ग्रहण किया है। मुझे केवल उन लोगों को, जो कि मेरी बात सुनकर मुझे गौरव प्रदान करेंगे, बम्बई के स्वर्गीय काका बैप्टिस्ट, बंगाल के स्वर्गीय के.सी. बनर्जी, संयुक्त प्रान्त के स्वर्गीय पादरी चिदम्बरां और पंजाब के स्वर्गीय डा. एस.के. दत्त की याद दिलाना

[डा. एच.सी. मुकर्जी]

आवश्यक है। ये नाम उन अनेक नामों में से थोड़े-से हैं जिनको मैं यह साबित करने के लिये बता सकता हूं कि हमने पूर्णतया भारतीय राष्ट्रीयता को स्वीकार कर लिया है। केवल एक बात में हमें गलत समझा गया। क्योंकि हम ईसाई धर्म के मानने वाले हैं जो कि विशेषकर एशिया का धर्म है और क्योंकि हमारा कुछ विदेशी मिशनों से सम्पर्क है, इसलिये यह मान लिया गया है कि भारतीय ईसाई जाति वह वृत्ति रखती है जो कि ईसाई मानसिक वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं है और मैं यहां यह कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि यह मिथ्या विचार है। यह गलत धारणा है और मैं इस बात को अच्छी तरह बता देना चाहता हूं कि आज मैं अपनी जाति की ओर से एक बार फिर इस झंडे के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूं।

मेरे लिये यह बात महत्वपूर्ण है कि कुछ कार्यकर्ता जो कांग्रेस से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किये हुये हैं भारतीय ईसाई हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र इस बात का प्रमाण स्वीकार करेंगे कि हमने भी ऐसे-ऐसे नेता उत्पन्न किये हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता को पूर्णतया ग्रहण किया है। हम केवल इसलिये इस झंडे में अपनी निष्ठा प्रकट नहीं करते कि हम भारतीय ईसई हैं, वरन् इसलिये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अतीत काल में हमसे सदैव सद्व्यवहार किया है। वास्तव में इस विचार में कोई अत्युक्ति नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमारे साथ उनसे भी अच्छा बर्ताव किया है, जिनके साथ कि हम धार्मिक विषय में सम्बद्ध हैं। मैं इस अवसर पर माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस घटना की याद दिला रहा हूं जो कि 1936 ई. में हुई जबकि मुझे पंजाब के डा. एस. के. दत्त ने फोरमेन क्रिश्चियन कालेज के कार्य के सिलसिले में कुछ सेवाओं के लिये बुलाया था। उस समय इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी संघ ने मुझे शराब के निषेध पर भाषण देने के लिये बुलाया और उन्होंने जोर दिया कि मैं उस विषय पर बोलूं क्योंकि कुछ काल पहले ही राजा जी की कृपा से मैं मद्रास के सालम जिले में गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उक्त कार्यवाही की अध्यक्षता स्वीकार कर ली थी लेकिन जिस विषय पर मुझे भाषण देना था वे उसे भूल गये। उनके पूछने पर सबसे पहले तो मैंने अल्पसंख्यकों के कर्तव्यों के प्रति जो मेरे विचार थे वे बताये और उनके कहने पर श्रोतागणों के सामने अल्पसंख्यक सम्बन्धी विषय पर अपने विचार प्रकट किये। उनको आधे घंटे पश्चात् दिल्ली जाना था लेकिन वे सब कुछ भूल गये और फलस्वरूप गाड़ी चूक गये। जब मैं भाषण समाप्त कर चुका, पं. नेहरू ने मुझसे कहा कि जिस बात को इस सम्प्रदाय ने लिया है उसे

जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकार प्राप्त करेगी याद रखेगी। तीन या चार दिन में मेरे पास कुछ अन्याय की शिकायतें आई जो भारतीय ईसाइयों पर कुछ गांवों में हुआ था। मैं गांवों में गया और मालूम किया कि शिकायतें ठीक थीं। मैंने उस सूचना को जो मैंने प्राप्त की पंडित नेहरू के सामने रखा और सात दिन में ही सारे मामले का निर्णय हो गया। इस प्रकार हमारी धार्मिक स्वतंत्रता हमें पुनः प्राप्त हुई। क्या मैं इस सिलसिले में एक और घटना का वर्णन करूं जबकि कांग्रेस से हमें तात्कालिक सहायता मिली? जब मैं मद्रास में था तो सईदपेट (Saidpet) के फिजिकल एज्यूकेशन क्रिश्चियन कालेज के प्रिंसिपल डा. बेक ने मुझसे कहा कि फिजिकल एज्यूकेशन की मद्रास कालेज के लिये जमीन मिलने में बड़ी कठिनाइयां हैं। जैसे ही राजाजी को अधिकार मिले तो कुछ दिनों में ही उन्होंने हमारी जमीन की मांग से भी अधिक जमीन हमें मंजूर कर दी। कांग्रेस से हमें ये सेवायें मिली हैं। अतः केवल इसीलिये नहीं कि हमें कांग्रेस के उद्देश्यों से सहानुभूति है बल्कि इसलिये भी कि हमारे साथ सद्व्यवहार हुआ है हमने कांग्रेस को ग्रहण कर लिया है। एक बार मैं फिर दुहराता हूं कि इस राष्ट्रीय झंडे के लिये भारतीय ईसाइयों की निष्ठा है।

***श्री आर.के. सिधवाः** अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के माननीय प्रेषक महोदय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस प्रस्ताव को पेश करने तथा इस झंडे को भेंट करने का उन्हें गौरवपूर्ण शुभ अवसर मिला। श्रीमान् जी, यह गौरवपूर्ण शुभ अवसर आज केवल माननीय पंडित नेहरू के लिये ही नहीं है वरन् यह समस्त राष्ट्र के लिये गौरवान्वित सौभाग्य का अवसर है कि जिस झंडे के नीचे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये लोगों ने घोर युद्ध किया, वहीं झंडा सत्य सिद्ध हुआ और आज के पश्चात् वही झंडा राष्ट्रीय झंडा होगा, सरकार द्वारा प्रमाणित झंडा होगा। जबकि हमारे जवान और बूढ़े पुरुष तथा स्त्रियां और बच्चे भी सार्वजनिक भवनों तथा निजी इमारतों पर इस झंडे को फहराते थे तो ब्रिटिश नौकरशाही इस झंडे को नीचे गिरा देती थी और अपने पैरों तले कुचल देती थी। ऐसा होते हुये भी जब हमारे देशवासियों ने फिर उसी झंडे को उठाया और जिस इमारत पर से उसे गिरा दिया था उसी पर फहराया। ऐसा करते हुये उन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धान्त का अक्षरशः पालन किया कि संघर्ष अहिंसात्मक रूप में रहे। महात्मा गांधी ने हमें यह उपदेश दिया कि हम मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करें। श्रीमान् जी, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मन और वचन से तो अहिंसा का पालन नहीं हो सका पर मैंने करोड़ों भारतवासियों के साथ भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के विरुद्ध युद्ध करने में अहिंसा के सिद्धान्त

[श्री आर.के. सिधवा]

का अक्षरशः पालन किया। उस अहिंसात्मक युद्ध के कारण आज हम अपने इच्छित फल को प्राप्त कर सके हैं। झंडे के साथ-साथ एक सर्वप्रिय नारे की चारों ओर गूंज उठी ''राष्ट्रीय झंडा ऊंचा रहे, यूनियन जैक नीचे गिरे''। किसी राष्ट्र के झंडे के निरादर करने से हमारा आशय नहीं था वरन् हम ब्रिटिश झंडे का यहां फहराना दासता का चिह्न समझते थे। 15 अगस्त को यह झंडा जो आज हमें भेंट किया गया है इस महान् परिषद्-भवन पर फहराया जायेगा, विशाल सेक्रेटेरियट भवन पर फहराया जायेगा और श्रीमान् जी, मैं यह भी कह सकता हूं कि वाइसराय भवन पर भी। (*तालियां*) यूनियन जैक आदरपूर्वक धीरे-धीरे गंभीर भाव से नीचे उतारा जायेगा। निःसंदेह उस दिन समस्त भारत में राष्ट्रीय झंडा फहराया जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति इसका अभिवादन करेगा।

श्रीमान् जी, सबसे पहला राष्ट्रीय झंडा मुझे स्वराज्य का झंडा कहना चाहिये, कलकत्ते के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सन् 1911 ई. में एक महान सभापति द्वारा, एक महान कांग्रेसी द्वारा, उस महान भारतीय देशभक्त द्वारा जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से थे तथा मैं यह भी कह सकता हूं कि कांग्रेस के एक प्रमुख निर्माता स्वर्गीय दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। उस झंडे को मैंने चित्र में देखा है। वह मेरे घर में है। वह झंडा वैसा नहीं है जैसा कि आज हम यहां देख रहे हैं। जो कुछ उस महान् नेता ने सन् 1911 ई. में उस झंडे को फहराते हुये कहा था मुझे अब याद आता है।

***अध्यक्षः** मैं भाषण में विघ्न डालना नहीं चाहता था परन्तु वक्ता महोदय वर्ष में गलती कर रहे हैं। वह वर्ष 1906 था न कि 19011।

***श्री आर.के. सिधवाः** धन्यवाद, श्रीमान् जी! झंडा फहराते हुये उन्होंने कहा था: ''मैं इस झंडे को भेंट करता हूं। इस झंडे के नीचे हमें अपना युद्ध करना चाहिये।'' श्रीमान् जी, उस समय से इस झंडे का रूप कुछ बदल गया है और अब यह सरकारी तौर पर राष्ट्रीय झंडा मान लिया गया है। हम सब इसका अभिवादन करेंगे। जहां कहीं यह फहराया जायेगा यह अनन्त काल तक दृढ़ बना रहेगा।

***माननीय श्री जयपाल सिंह** (बिहार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, जब मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुना, मैंने सोचा कि किसी भाषण की

आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन चूंकि इस हाउस के भिन्न-भिन्न दलों ने एक-एक करके जिस झंडे को हम इस देश का राष्ट्रीय झंडा स्वीकार करने वाले हैं, उसके प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करने तथा उसे स्वीकार करने का प्रयत्न किया, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कहूं उन तीन करोड़ आदिवासियों की ओर से जो कि इस देश के सच्चे स्वामी हैं, इस भूमि के प्रथम पुत्र हैं, भारत के अति प्राचीन शिष्ट जन हैं और जो पिछले 6 हजार वर्षों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये युद्ध कर रहे हैं। अपने इन लोगों की ओर से इस झंडे को देश का झंडा स्वीकार करने में मुझे बड़ी खुशी है। श्रीमान् जी, इस हाउस के बहुत से सदस्य यह सोचने लगे हैं कि झंडे फहराने का श्रेय आर्य सभ्यता को है। श्रीमान् जी, आदिवासी झंडा फहराने में और अपने झंडे के लिये युद्ध करने में सर्वप्रथम हैं। जो सदस्य बिहार प्रांत से आये हैं मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि प्रति वर्ष छोटे नागपुर के मेले, यात्राओं और उत्सवों में जब भिन्न-भिन्न कबायली दल अपने-अपने झंडे लेकर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब प्रत्येक दल 'जात्रा' में एक विशेष मार्ग से आता है केवल एक ही मार्ग से आता है और अन्य कोई दल उस मार्ग से नहीं आ सकता। प्रत्येक गांव का एक झंडा होता है और उस झंडे की नकल कोई दूसरा दल नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति उस झंडे को चुनौती देता है तो श्रीमान् जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह विशेष दल उस झंडे की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिये अपने अन्तिम खून की बूंद बहा देगा। अब से वहां दो झंडे होंगे, एक वह जो वहां 6 हजार वर्षों से है और दूसरा यह राष्ट्रीय झंडा जो कि हमारी स्वतंत्रता का चिह्न होगा जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बतलाया है। यह राष्ट्रीय झंडा आदिवासियों को एक नया संदेश देगा कि स्वतन्त्रता के लिये उनका 6 हजार वर्षों का युद्ध अन्त में समाप्त हो गया और वे अब इस देश में उतने ही स्वतंत्र हैं जैसे कि अन्य व्यक्ति। श्रीमान् जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो झंडा पेश किया है, भारत के आदिवासियों की ओर से उसे स्वीकार करने में मुझे बड़ा हर्ष है।

***मि. फ्रैंक रेजीनाल्ड एन्थानी** (बंगाल: जनरल): जब मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस झंडे के परिचय कराने और भेंट करने सम्बन्धी प्रभावशाली भाषण को सुना, तो मैंने सोचा कि अवसर की गंभीरता पर मुहर लगाने के लिये वह यथेष्ठ है। लेकिन चूंकि सदस्यों की समझने योग्य भावनाओं तथा उनके उत्साह के कारण और भी अनेक भाषण हुये तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ शब्द कहूं। मुझे उस कमेटी की सेवा करने का श्रेय था जिसने इस झंडे की अन्तिम रूपरेखा बनाई।

[मि. फ्रैंक रेजीनाल्ड एन्थानी]

यह कमेटी में स्पष्ट कर दिया था कि यह झंडा किसी साम्प्रदायिक विचार या भावना का द्योतक नहीं है। यद्यपि हमने विशेषकर उस झंडे को ही रखा है जिसके नीचे भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा गया और उसका अन्त हुआ फिर भी झंडा जिस रूप में आज फहराया गया है कुछ गुण और प्रेरणायें रखता है, जिनका आदर उस प्रत्येक राष्ट्र को करना चाहिये जो कि उन्नति और स्वतंत्रता का पथिक है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह झंडा वास्तव में अपने स्वरूप में तथा प्रेरणा प्रदान करने में एक सुन्दर झंडा है। आज यह झंडा राष्ट्र का झंडा है। यह किसी विशेष सम्प्रदाय का झंडा नहीं है वरन् समस्त भारतीयों का झंडा है। मुझे विश्वास है कि हमारे अतीत का चिह्न होते हुये भी यह भविष्य के लिये प्रेरित करता है। यह झंडा आज राष्ट्र का होकर फहराता है और प्रत्येक भारतीय का यह कर्त्तव्य तथा अधिकार होना चाहिये कि वह इसका केवल आदर ही न करे और इसके नीचे जीवन व्यतीत ही न करे बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इस पर अपना बलिदान भी करे।

श्री ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिरः जनाब सदर, इस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की तकरीर के बाद और श्री राधाकृष्णन, जैसे फाजिल बुजुर्गों की उस वजाहत के बाद जो उन्होंने रंगों के मुतल्लिक की है मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस ख्याल से यहां खड़ा हुआ हूं कि इस ढंग से अपनी समूलियत जाहिर करूं कि इस झंडे की खातिर और अपने देश की आजादी की खातिर जो जो कुर्बानियां हुई हैं, पंडित जवाहरलाल जी ने अपने खास अन्दाज में और दर्दनाक लहजे में यही बयान किया है। इस झंडे के मातहत इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर मेरी कौम ने अपनी ताकत के मुताबिक कुर्बानियां दी हैं और सिखों से ज्यादा मैं समझता हूं कि किसी को भी खुशी नहीं हो सकी कि हमारी कुर्बानियों को पहले फूल आये और अब फल लगे हैं। एक बात जरूर है कि जहां फूल है वहां खार भी होता है। मैं इस खुशी के वक्त थोड़ा-सा महसूस कर रहा हूं कि कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जो हमारे साथ कुर्बानियों के वक्त तो मौजूद थे, कुर्बानियों में शामिल थे मगर इस खुशी में मजबूरन हमारे साथ शामिल नहीं हो सके। मगर बाज वक्त फूल को चमकाने के लिये, फूल की खसूसियत को बढ़ाने के लिये कांटा भी मुफीद साबित हो सकता है। इस वक्त मैं सिर्फ इन अलफाजों में अपने जजबात का इजहार करना चाहता हूं कि जहां इस झंडे को लहराने के लिये कुर्बानियां करनी पड़ी हैं, और आज हम इस पोजीशन में आये हैं कि हम हर जगह अपना ही यह झंडा लहरायें; वहां इस लहराये हुयें झंडे को मजबूती

के साथ, इज्जत के साथ कायम रखने की इतनी ही जरूरत है, इसे कायम रखने के लिये भी शायद वक्तन व वक्तन हमको उतनी ही कुर्बानियां देनी पड़े, जितनी इसको हासिल करने के लिये उठानी पड़ी हैं। इसलिये मैं इकरार करता हूं कि अपनी कौम की तरफ से, सिखों की तरफ से कि जिस तरह सिखों ने देश की आजादी को हासिल करने के लिये कुर्बानियां दी हैं, उसकी इज्जत को कायम रखने के लिये और बढ़ाने के लिये वह अपनी ताकत के मुताबिक इसी तरह जोर व शोर के साथ और बहादुरी और दिलेरी के साथ कुर्बानियां करते चले जायेंगे। इन अलफाज के साथ मैं इस रेजुलेशन की, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया है, ताईद करता हूं।

श्री एच.जे. खांडेकरः सभापति महोदय, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव झंडे के बारे में रखा है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि इस झंडे को इस देश में जिन्दा रखने के लिये हमने कितनी बड़ी-बड़ी कुर्बानियां की हैं और यहां तक कि इस झंडे की इज्जत रखने के लिये कइयों की जिन्दगी बरबाद हो गई, बाल-बच्चे कुचले गये, वह खुद मारे गये, तबाह हो गये। इस झंडे को कुचलने के लिये अंग्रेजी सल्तनत ने जितनी भी उसके पास ताकत थी, सारी खर्च कर दी; मगर हमने, इस देश के बाशिन्दों ने, अपनी कुर्बानियों से इसको बराबर सींचा और इसे जिन्दा रखा। यह झंडा जिसके कि नीचे आज हम भारत को स्वतंत्र देख रहे हैं और जिसको कि आज स्वतंत्र भारत के ऊपर हम लहराना चाहते हैं, वह यही झंडा है जिस झंडे ने आज तक हमें स्वतंत्र करने की ताकत दी। इस झंडे के अन्दर तीन रंग हैं, एक है भगवा रंग जिसके बारे में खुद की कम्युनिटी का सम्बन्ध आता है। मैं डिप्रैस्ड क्लास में से हूं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि महाराज शिवाजी की शक्ति का जब प्रादुर्भाव था और जब इस देश को स्वतंत्र कराने का मौका आया और हिन्दू पद पादशाही स्थापित करने का मौका आया तो इस भगवा झंडे के नीचे हमारी कौम ने लाखों की तादाद में कुर्बानियां की हैं। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो सिद्धनाख महार का कोरेगांव में आज भी लोह-स्तम्भ उस जमाने की याद दिलाता है।

यह तो झंडा है, इसमें तीन रंग हैं, जिसके कि एक पहले रंग से मेरी कौम का सम्बन्ध आता है। इसका दूसरा रंग जो सफेद है वह शान्तिमय है और वह शान्ति रखने वाला है और दूसरी जो-जो कम्युनिटीज इस देश के अन्दर हैं उनकी यूनिटी का सम्बन्ध रखने का है और इसीलिये यह झंडा सारे देश और हर धर्म, हर भाषा व मजहब के लोगों का है और मैं आज आल इंडिया डिप्रैस्ड क्लास

[श्री एच.जे. खांडेकर]

के प्रेसीडेंट की हैसियत से इस हाउस के सामने यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरी कम्युनिटी सदा इस झंडे के पीछे रहेगी जिसे हम आज पास कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी व अपनी सारी कम्युनिटी के भाइयों के साथ इस झंडे के रेजुलेशन की ताईद करता हूं। जिस झंडे की इज्जत को आज तक हम लोगों ने कायम रखा है और उस पर जब कभी ऐसा मौका आ जाये और इसकी इज्जत कहीं खतरे में पड़ जाये, तो इस देश के सारे लोगों के साथ मेरी कौम भी झंडे की इज्जत बचाने के लिये कुर्बानियां देगी। इन शब्दों के साथ मैं इस रेजुलेशन का समर्थन करता हूं।

श्री बालकृष्ण शर्मा: सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, बहिनो और भाइयो आज इस अवसर पर जब कि मेरे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सम्बन्ध में अत्यंत ऊंचे स्तर से अपने विचार प्रकट कर चुके हैं इसके बाद मेरी स्वयं ही यह इच्छा थी कि यहां और कोई भाषण न हो, किन्तु प्रथा चल पड़ी और प्रत्येक वर्ग के भाइयों ने यहां आ आकर अपने विचार व्यक्त किये तो मैंने भी अपने कुछ गुरु जनों के कहने से अपना नाम अध्यक्ष की सेवा में अर्पित कर दिया और सूक्ष्म में मैं अपने विचार आज आपके सम्मुख रखना चाहता हूं।

आज का दिन पंडित जवाहरलाल के द्वारा इस प्रस्ताव उपस्थित किये जाने का दिन, हमारे देश में, हमारे देश के इतिहास में एक बधाई का दिन है और जिस समय मैं ध्यानपूर्वक जवाहरलाल जी का भाषण सुन रहा था उस समय मुझे ऐसा लग रहा था, मानो हम अपनी यात्रा में एक मंजिल को समाप्त करके आज दूसरी मंजिल का प्रारम्भ कर रहे हों और इस समय जब कि हमारी अपनी यात्रा का एक भाग समाप्त होता है उस समय हमारी आंखें बरबस पीछे की ओर मुड़ जाती हैं और हम अपने गत इतिहास का अवलोकन करने के लिये बाध्य हो जाते हैं। इस बीस वर्ष के इतिहास में हमारे बीच में एक महापुरुष ने अवतीर्ण होकर हमारे राष्ट्र की वीणा का तार-तार जिस सुन्दर और कलापूर्ण रीति से झंकृत कर दिया है, उसके प्रति अगर हम नतमस्तक न हों तो हम कृतघ्नता के दोष के भागी होंगे। महात्मा गांधी ने हमें हमारे राष्ट्रीय जीवन को जो कुछ दिया है, जो उनकी अब तक देन हमें मिलती जा रही है उसकी गणना कर सकना इस थोड़े समय में सम्भव नहीं है। किन्तु यदि आप अपनी दृष्टि को आज से 27, 28 वर्ष पहले ले जाकर उस समय की परिस्थिति की अवहेलना करने की थोड़ी-सी तकलीफ दें, तो आपको पता चलेगा कि किस परिस्थिति से उस एक महापुरुष

ने, इस एक लोकोत्तर जननायक ने हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक समय वह था हमारे देश में जिस समय हमारी कांग्रेस महासभा केवल मात्र प्रस्तावों को पास करके वर्ष में तीन दिन बड़े दिन की छुट्टियों में अधिवेशन करके अपने कर्त्तव्य की इति श्री समझती थी। जिस समय महात्मा गांधी ने हमारी राजनीति में प्रविष्ट होकर हमें यह संदेश दिया कि प्रस्ताव पास करने से हमें स्वराज्य नहीं मिलेगा, अधिकारों को प्राप्त करने के लिये बल की आवश्यकता होगी, तो सारे के सारे राष्ट्र ने भौचक्का होकर उनकी ओर देखा और कहा कि यह शख्स पागल हो गया है। एक निशस्त्र राष्ट्र से यह कहना कि तुम शक्ति संचित कर सकते हो, संसार के इतिहास में एक पागलपन की बात लगती थी। संसार की राजनीति ने केवल-मात्र एक मार्ग को राष्ट्रीय अधिकारों के प्राप्त करने का साधन समझा था और वह मार्ग हिंसा का मार्ग था। महात्मा गांधी ने इस देश में अहिंसात्मक प्रणाली को चलाकर देश में जैसी सामूहिक चेतना का विकास किया, देश की आत्मा को जिस रूप में उन्होंने स्पन्दित किया, देश के आदमियों को जिस प्रकार संगठित किया गया आज हम उसका स्मरण न करें। मैं समझता हूं कि गांधी का यह एक बड़ा भारी दान था कि प्रस्ताव पास करने वाली कांग्रेस को उन्होंने लड़ने वाली संस्था बना दिया। दूसरा महान् दान जो हमारे देश को मिला वह यह था कि जो कांग्रेस केवल तीन दिन तक अपना कार्य करती थी उसे गांधी जी ने बारहमासी काम करने वाली संस्था के रूप में परिणत कर दिया। तीसरा महान् दान जो उन्होंने दिया वह यह था कि हम अपने विचारों को केवल दूसरी भाषा में, विदेशी भाषा में व्यक्त करते थे, गांधी जी ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में हमें प्रदान करके हमारी राष्ट्रीय भावना को सचेत और जागृत होने का अवसर दिया। यह राष्ट्रभाषा का वरदान महात्मा का ही दान है। उन वरदानों में से एक वरदान है झंडे का, जो उन्होंने इस देश को प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने इस झंडे के रूप में हमारे देश की सामूहिक शक्ति को केन्द्रित करके हमें बलिदान के मार्ग पर अग्रसर होने की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। आज आप सब महानुभावों की ओर से अत्यंत विनीत भाव से उस महापुरुष के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने का साहस करता हूं।

जिस समय पंडित जवारलाल नेहरू भाषण दे रहे थे उस समय मैंने उनकी ओर देखा और मुझे ऐसा लगा कि इस एक महापुरुष ने जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू है, हमारे देश में क्या-क्या नहीं किया है, हमने उससे कितनी आदर्शवादिता प्राप्त नहीं की है, इससे हमने कितनी लगन और सेवा की भावना प्राप्त नहीं की है! आज महात्मा गांधी के साथ-साथ आप सब लोगों की ओर से मैं पं. जवाहरलाल

[श्री बालकृष्ण शर्मा]

नेहरू के श्री-चरणों में अपनी श्रद्धा और अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। जिस समय मैं उनके भाषण को सुन रहा था उस समय मुझे ऐसा लगा कि यात्रा का एक भाग समाप्त हो रहा है और मन में यह भावना आई कि जब यात्रा का एक भाग समाप्त हो रहा है तब क्यों न अवकाश ग्रहण करके इस झंझट से मुक्त होकर कुछ और किया जाये। इतने में ही पं. जवाहरलाल नेहरू आते हैं और हमारी इस राष्ट्रीय ध्वजा के मध्य में, इस राष्ट्रीय झंडे के बीच में एक चक्र को स्थापित करके कहते हैं कि यह चक्र गति का द्योतक है। जब हम यह बात सुनते हैं तो मेरे मन में वह पुरातन संदेश जागृत हो उठता है जो बृहदारण्यक उपनिषद् में मैंने एक बार पढ़ा था कि सोते रहना कलियुग है, आंखों को खोलना द्वापर है, उठकर बैठ जाना त्रेता और चल देना सतयुग है। आज पंडित जवाहरलाल इस चक्र के रूप में हमें गति का संदेश दे करके एक बार फिर से सतयुग का संदेश दे रहे हैं। उपनिषद्कार कहते हैं 'चरैवेति चरैवेति'। स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा ''चरैवेति मिक्लवे चरैवेति'', सतत प्रयास करते जाओ, करते रहो और बार-बार करते जाओ, विश्राम का स्थान नहीं है। क्या मैं आज कांग्रेसजनों की ओर से अपने नेता पं. जवाहरलाल नेहरू को यह आश्वासन दूं कि प्यारे कप्तान, तुम्हारे नेतृत्व में हम सामर्थ्य के अनुसार तुम्हारा अनुकरण करते हुये चलने का प्रयास करते रहेंगे? मैं आज इस अवसर पर इस राष्ट्रीय ध्वजा को प्रणाम करता हूं और भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि इस देश में एक नया युग आये, इस देश में एक नया आसमान और एक नई धरती बने जो सारे मानव संसार को इस झंडे के नीचे अखंड रूप से शांति का संदेश देने में समर्थ हो सके।

पं. गोविन्द मालवीयः सभापति जी, आज मैं जब यहां आया था तो मुझे कोई विचार भी न था कि इस झंडे के ऊपर, झंडे के प्रश्न पर हम लोग कुछ कहेंगे। किन्तु अपने देश के नेता लाडले पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्याख्यान से प्रत्येक सदस्य के हृदय में उत्साह और आनन्द की लहर फैली हुई है। उसके बाद हम सभी के चित्त में यह भावना उठी कि आज इस महत्वपूर्ण और पवित्र दिन पर अपनी श्रद्धान्जलि अपने देश के इस झंडे के प्रति अर्पित करें।

इसलिये मैंने भी अपना नाम सभापति जी, आपको भेजा कि मैं भी आपके सामने दो शब्द कह दूं।

किसी देश के झंडे का महत्व उस झंडे के अनेक रंगों या उसके भागों या उसके किसी टुकड़े या हिस्से के ऊपर निर्भर नहीं होता है। उसमें कितने रंग हैं या कितनी

और चीजें है उनका महत्व नहीं होता बल्कि झंडे का महत्व होता है। वह झंडा कुछ भी क्यों न हो, वह झंडा एक सफेद कपड़े का एक टुकड़ा ही क्यों न हो लकिन जिस चिह्न, जिस चीज को कोई देश अपना झंडा बना लेता है वही चीज, वही टुकड़ा, वही रंग और वही रूप उस देश के आत्मसम्मान का, उस देश की स्वतंत्रता का, उस देश की सारी हार्दिक भावनाओं का रूप वह झंडा उस देश की सबसे अधिक प्रिय वस्तु हो जाती है। यह तिरंगा झंडा हम आज 27 वर्ष से अपने माथे और छाती पर लिये हुये हैं और हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता के लिये हमने इस झंडे को हाथ में लेकर कितने ही बलिदान किये हैं। मैंने कहा है कि कोई झंडा हो या कोई चिह्न हो, जिस चीज को देश अपना झंडा मान ले वह देश के इतिहास, देश के जीवन का सर्वप्रथम और सबसे ऊंची चीज हो जाती है। पर यह खास झंडा तो ऐसी चीज है जिसको 27 वर्षो से 40 करोड़ प्राणियों ने अपने हृदय की आशाओं का रूप, एक शक्ल और उसको आने वाली छवि मान रखा है। जिस चीज को देश में लाखों स्त्री-पुरुषों ने अपनी जान से ज्यादा महत्व देकर जिसकी इज्जत के लिये अनेकों कष्ट सहे हैं, जिसके लिये लोगों ने अपने बाल-बच्चों को भूखा और तड़पता हुआ रहने देना और जेल जाना पसन्द किया है; जिसके लिये अपने कामकाजों को छोड़कर लोगों ने पुलिस और फौज की लाठियों से अपनी हडिड्यां और सर तुड़वायें हैं। जिस झंडे का मान रखने के लिये, जिसकी रक्षा के लिये निहत्थे नवयुवकों और कौम के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी फौज या पुलिस की बन्दूकों के सामने अपनी छातियां खोल दी हैं। ऐसे झंडे के लिये, जिसे देश ने कई पीढ़ियों से अपना झंडा मान रखा है देश के प्रत्येक प्राणी के हृदय में क्या लग्न होगी, क्या जोश होगा और क्या भावना होगी यह कहने की शक्ति मनुष्य की जिह्वा में नहीं हो सकती। उसी झंडे के प्रति अपनी-अपनी स्नेहयुक्त श्रद्धांजलि समर्पित करने को हम सब लालायित हैं।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस झंडे के पीछे इतनी कुरबानी है जिसके सम्बन्ध में वीरता, त्याग, देशभक्ति की कहानियां और गाथायें बन गई हैं वह तो यहां की एक बुनियादी वस्तु हो जाती है। आज इस झंडे के विषय में इस देश में बहुत-सी राय दी जा रही हैं। बहुत से लोगों ने कई प्रस्ताव किये हैं। मैं जानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो प्रस्ताव करता है वह अपनी समझ से किसी न किसी विशेष और महत्वपूर्ण कारण से ही वैसा करता है। उसका प्रस्ताव यदि आज यहां नहीं माना जा सकता है तो इसके मानी यह नहीं हुये कि हम किसी अंग, किसी भाग या किसी व्यक्ति के विचार का आदर नहीं करते। हम यह नहीं सोचते कि जो झण्डा आज हमने अपनाया है उसमें किसी का मतभेद होने के कारण उसका

[पं. गोविन्द मालवीय]

अधिकार न होगा, बल्कि हम मानते हैं कि उसके इस झंडे के ऊपर उतना ही अधिकार होगा जितना हमारा है। जिन लोगों ने इस झंडे को राष्ट्रीय झंडा बनाने के विरुद्ध राय दी है या इसमें कुछ रद्दोबदल का प्रस्ताव किया है, जिन हिन्दू भाइयों ने इसके प्रति अपना अंसतोष प्रकट किया है उनसे भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उन्हें और कुछ शिकायतें भी यदि हों तब भी सब देखते हुये भी आज यह देखकर ध्यान में रखते हुये कि यह झंडा आज 27 वर्षों से हिन्दुस्तान की ऊंची से ऊंची राष्ट्रीय आशाओं का प्रतिबिम्ब रहा है, हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता के संग्राम का प्रतीक रहा है, मैं पूछता हूं कि कौन ऐसा व्यक्ति इस देश में होगा जो हृदय से यह कहे कि 27 वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद अब आज इस झंडे को छोड़कर हम कोई दूसरा झंडा आगे बढ़ायें। कांग्रेस ने जो संग्राम चलाया था वह केवल किसी विशेष सम्प्रदाय या किसी विशेष राय रखने वाले दल की तरफ से नहीं चलाया था। इस झंडे के नीचे कांग्रेस ने और खिलाफत ने मिलकर, हिन्दू और मुसलमानों ने मिलकर स्वतंत्रता के लिये हिन्दुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक उत्साह की आग लगा दी थी। इस झंडे के नीचे सिखों ने अनगिनत कुरबानियां कीं। इस झंडे के नीचे हर एक सम्प्रदाय के लोगों ने भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिये अपना खून बहाया है और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। यह झंडा किसी एक सम्प्रदाय-विशेष का नहीं है। यह झंडा हिन्दू का नहीं, मुसलमान का नहीं, ईसाई का नहीं, यहूदी का नहीं; जैन, सिख, बौद्ध किसी का नहीं यह झंडा सारे हिन्दुस्तान का है। भारतवर्ष के हर एक बच्चे का है और तब भी इसके साथ ही साथ इस झंडे की खूबी यह है कि हरएक व्यक्ति चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, या ईसाई हो, इस झंडे को वह अपने-अपने ढंग से इसको अपना झंडा मान सकता है। अपने रंग से इसके वह माने निकाल सकता है, इसका अर्थ लगा सकता है। इसे अपनी विशेष भावनाओं का संतोषक मान कर इसके प्रति अपने चित्त में स्नेह, आदर, श्रद्धा और उल्लास का अनुभव कर सकता है। इस झंडे में हरा रंग मुसलमान दोस्तों का है, सफेद रंग ईसाई दोस्तों का तथा अन्य अल्प सम्प्रदायों का है, केसरी रंग हमारे सिख भाइयों का है। सबका इसमें स्थान है। लेकिन इसके यह माने नहीं हैं कि वह सिर्फ मुसलमानों, ईसाइयों व सिखों का रंग है और इनकी और कोई महत्ता नहीं। इन रंगों के तो और भी मायने हैं। यह रंग हिन्दुओं के भी हैं। यही इस झंडे की खूबी है कि इसमें हर एक को अपनी चीज समझने की पूरी गुंजाइश है। हमारे वेदों में 'ऋत' शब्द की कोई परिभाषा नहीं है लेकिन ऋत के हर एक अंग पर 'ऋत' का प्राधान्य है और ऋत की महिमा कवियों ने, विद्वानों ने, भाटों ने और पढ़ने-पढ़ाने वालों ने दुनिया में आज तक गायी है; लेकिन फिर

भी कोई नहीं कह सकता कि ऋत यही है और आज भी जीवन के हर एक अंग पर उसका प्राधान्य माना जाता है।

इसी तरीके से बड़े-बड़े कवियों ने मनुष्य के भिन्न-भिन्न गुणों के बारे में सत्य, सौंदर्य, कर्त्तव्य, परोपकार, दया, वात्सल्य आदि विषयों पर अपनी-अपनी भावना के अनुसार सुन्दर से सुन्दर शब्दों में मोतियों की माला की तरह अपने अच्छे से अच्छे भावों को पोह दिया है। कहते हैं सब एक ही चीज के बारे में, लेकिन कोई किसी दृष्टि से महिमा गाता है कोई किसी प्रकार से। उसी गुण की व्याख्या करने में एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है। सभी की कविता सभी के उद्‌गार भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी तरीके से इस झंडे की यह खूबी है कि हर एक व्यक्ति उसके हर एक अंग के ऊपर अपने-अपने मन के अनुसार उसकी खूबी गा सकता है और उसको अपना झंडा मान सकता है। इस झंडे को हिन्दू अपना मान सकता है, मुसलमान अपना मान सकता है, सिख अपना मान सकता है, ईसाई अपना मान सकता है और किसी को यह शिकायत नहीं रह सकती कि हमारा झंडा यह नहीं है। हिन्दुओं को ही ले लीजिये। कुछ लोगों ने अखबारों में यह कहा है कि हिन्दुस्तान के झंडे में उन हिन्दू रंगों की प्रधानता होनी चाहियें और इस झंडे को बदल देना चाहिये। मैं पूछता हूं कि क्या और सभी सम्प्रदायों के साथ-साथ हिन्दुओं ने और सबसे बहुत अधिक संख्या में, इसी झंडे के लिये अपना खून नहीं बहाया है? इसके लिये अनगिनत आत्माहुति नहीं की है? फिर उन हिन्दू वीरों की, उन देशभक्तों की, जिनकी बदौलत इन सज्जनों को आज स्वतंत्रता की झलक देखने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन वीरों की आत्मा क्या नहीं पुकारती है? क्या उनके प्रति हम कृतघ्नता नहीं दिखाते हैं? और फिर मैं तो अपने कट्‌टर से कट्‌टर हिन्दू भाई से सादर और साग्रह निवेदन करता हूं कि यह झंडा हिन्दू भावनाओं से ओत-प्रोत है। हिन्दुओं की दृष्टि में यह झंडा उनकी हर-एक भावनाओं की हर-एक अंगों की पूर्ति करता है और हिन्दुत्व का इसमें पूरा-पूरा स्थान है। वेद भगवान कहते हैं झंडे का रंग अरुण होना चाहिये। अथर्ववेद में लिखा है ''अरुणाः सन्तु केतवः।'' अतः अरुण रंग वैदिक रीति से हिन्दुओं के झंडे का रंग है। इसके अलावा दूसरी तरह से भी देखिये यह जो सबसे ऊपर अरुण रंग है यह अग्नि का रंग है और यदि अरुण रंग सूर्य का रंग है तो इसके साथ-साथ बीच वाला सफेद रंग चन्द्रमा का रंग है। अब देखिये हिन्दुओं की दृष्टि से सृष्टि के आदि काल में जो बात संसार में हुई वह ब्रह्मा द्वारा सबसे पहले सूर्य और चन्द्रमा की रचना थी। हिन्दू जाति, आर्य जाति ने अपने आदि काल से सूर्य और अग्नि की पूजा

[पं. गोविन्द मालवीय]

की है। सूर्य और चन्द्रमा सर्वमान्य शाश्वत परमाराध्य देवता हैं। यह झंडा उन्हीं अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा का चिह्न है। यह अरुण और सफेद रंग अपने साथ लिये हुये है। अब बचा नीचे का तीसरा रंग। यानी नीचे जो हरा रंग है, जैसा मैंने कहा है, मैं चाहता हूं कि मुसलमान दोस्त इसको अपना रंग मानें। लेकिन साथ ही वह रंग भी हमारा हिन्दुओं का रंग है। आप जानते हैं कि नवग्रहों में बुध नक्षत्र का बहुत ज्यादा महत्व और महिमा होती है और उन्हीं बुध का रंग हरा होता है। यही बुध हिन्दू भावनाओं के अनुसार गणेश माने जाते हैं। यह बुध का हरा रंग समाज की समृद्धि (प्रोस्परिटी) और समाज की सम्पत्ति का द्योतक है। इस धन-प्रधान नवग्रह बुध का रूप यह हरा रंग यहां पर मिला हुआ है। मैं पूछता हूं जिस झंडे में अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और बुध हों, उससे अधिक हिन्दू भावनायुक्त झंडा हिन्दुओं के लिये और क्या हो सकता है? इसके अलावा और भी देखिये, इस झंडे के बीच में एक चक्र बना हुआ है। वह चक्र एक अद्‌भुत चीज है। हिन्दुओं के यहां अवतारों का बहुत महत्त्व है। जब संसार में उनकी आवश्यकता होती है तब ही अवतार हुआ करता है जब संसार में कष्ट, बुराई और आफत अधिक हो जाती है, जब यह जरूरी हो जाता है कि संसार को फिर से एक नये सिरे से अच्छे मार्ग पर लाया जाये तो हिन्दुओं का विश्वास है कि ईश्वर के विशेष अंश को लिये हुये किसी व्यक्ति-विशेष का अवतरण होता है और उसे लोग अवतार कहते हैं। हमारे यहां कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान बुद्ध का अवतार हुआ है। उन्ही भगवान कृष्ण का आम प्रसिद्ध दैवी शस्त्र सुदर्शन चक्र था। सुदर्शन चक्र को कौन हिन्दू नहीं जानता? वही चक्र इसमें विद्यमान है। इसी तरह जिस भगवान बुद्ध का स्मरण प्रत्येक हिन्दू अपने संकल्प में बुद्धावतार कह कर नित्य हर बार करता है उन्हीं भगवान् बुद्ध का चिह्न रूप धर्मचक्र इस झंडे के बीचों-बीच इस चक्र के रूप में नाच रहा है। और इसके बाद यदि हिन्दुओं की भावना सत्य है तो जो आज संसार की भीषण अवस्था हो गई है उसमें से मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिये, संसार में फिर से धर्म, न्याय और शांति स्थापित करने के लिये इस समय संसार का आखिरी अवतार हमारे यहां हुआ है और हमारे बीच मौजूद है। उसको चाहे हम या और कोई दूसरे लोग मानें या न मानें, लेकिन आज नहीं तो दस दिन बाद जिसको हिन्दू लोग अन्तिम अवतार अवश्य ही कहेंगे। वह महात्मा गांधी है और उनके हृदय का रूप चर्खा चक्र इस झंडे में विद्यमान है। इस तरह से मैं यह कहता हूं कि इस झंडे में सब लोगों को और हिन्दुओं का विशेष रूप से खुशी का पूरा सामान है। जैसा मैंने दिखाया है इस झंडे का अंग-अंग हिन्दू धार्मिक

भावनाओं के अनुकूल है। अतः इस झंडे का विरोध तो दूर रहा प्रत्येक सच्चे हिन्दू का कर्तव्य है कि वह इसका मान रखने के लिये अपने तन, मन, धन से इसका समर्थन करे, इसका आदर करे, इसकी पूजा करे और इस पर सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहे।

मैंने यह प्रयत्न किया था कि यद्यपि स्वयं मैं तो इस झंडे से पूरा संतुष्ट हूं, किन्तु देश में कुछ लोगों ने जो कहा था कि इसमें कुछ बढ़ाया, घटाया या बदला जाये उनका संतोष बिना कोई विशेष परिवर्तन के किया जा सके तो अच्छा हो। मैं यह विश्वास सबको दिलाना चाहता हूं कि उन विचारों और प्रस्तावों पर ध्यान दिया गया। अन्त में यही उचित लगा कि जिस झंडे के नीचे इतने दिनों से देश भर ने, जो आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी, स्वतंत्रता का संग्राम चलाया है, इसे ही राष्ट्रीय पताका का स्थान देना चाहिये। जितना अन्तर अब कर दिया गया है उसके बाद अब तो किसी हिन्दू के लिये कुछ भी शिकायत का कोई सवाल ही नहीं हो सकता।

सभापति जी, हमारा ही यह देश है जिसने हमेशा से संसार को मार्ग दिखाया है, जिसने हमेशा संसार को अंधकार से ले जाकर ज्योति में खड़ा किया है। पूर्व-काल की भांति फिर इसी देश में संसार के सौभाग्य से आजकल के संसार के सब से बड़े व्यक्ति का जन्म हुआ है। जो व्यक्ति चारों तरफ से मानव जाति पर फट पड़ी हुई आफतों के समूह में सारी सृष्टि को सत्यानाश करने वाली दोनों लड़ाइयों के बाद तीसरी लड़ाई के कराल बादलों की घनघोर घड़घड़ाहट के बीच स्थित प्रज्ञ, अविचल, दृढ़ प्रतिज्ञ, एक महान् की भांति सुनिश्चित किन्तु विनम्र रीति से संसार को शांति का रास्ता दिखा रहा है और जो आज भी संसार से कह रहा है ''पागलपन छोड़ो'' तो दुनिया उस रास्ते पर जाये; जहां सबके लिये शांति, सुख, समृद्धि और कल्याण हैं। ऐसे महात्मा गांधी का प्रिय चिह्न रखने वाले चर्खे का सुदर्शन चक्र यह हमारा प्यारा झंडा है। मैं आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस देश के प्रत्येक निवासी को वह बुद्धि और बल दे कि अपने इस झंडे के नीचे रहते हुये हम अपने को और संसार को फिर उस स्थान पर ले जा सकें, जहां का मार्ग दिखाने के लिये भारत ही उपयुक्त है और जिसके द्वारा ही संसार के कल्याण की अब भी कुछ आशा है।

***मि. तजम्मुल हुसैनः** मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मेरा नाम सूची में नहीं है पर मैं 2 या 3 मिनट से अधिक नहीं लूंगा। क्या मुझे आपकी आज्ञा है?

***अध्यक्षः** नहीं, मेरे पास सूची में 25 से भी अधिक नाम हैं।

***मि. तजम्मुल हुसैनः** मैं आशा करता हूं कि बाद में मुझे आपकी आज्ञा मिल जायेगी।

***अध्यक्षः** वक्ताओं से मैं अब निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण संक्षेप में दें, क्योंकि हमारे पास केवल 40 मिनट और हैं जिसे कि मैं अधिक से अधिक वक्ताओं को जो बोलना चाहते हैं, अवसर दे सकूं। मैं प्रत्येक वक्ता को दो मिनट देता हूं।

मैं डाक्टर जोसफ आल्बन डी' सौजा को भाषण देने के लिये आमंत्रित करता हूं।

***डा. जोसफ आल्बन डीसूजा** (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको तथा हाउस को यह गारन्टी देता हूं कि मैं दो या तीन मिनट से अधिक नहीं लूंगा। श्रीमान् जी, मैं इस परिषद् के मंच पर प्रथम तो एक भारतीय के रूप में और तत्पश्चात् एक भारतीय ईसाई के रूप में खड़ा होता हूं। (*तालियां*) इस कारण कि आज जबकि राष्ट्रीय झंडे का परिचय कराया गया और उसको गाढ़ दिया गया तो समस्त राष्ट्र में हर्ष और आनन्द छा गया। सर्वप्रथम प्रत्येक भारतीय ग्रह में और उसके साथ-साथ प्रत्येक भारतीय ईसाई के घर में। श्रीमान् जी, इस प्रस्ताव के प्रेषक महोदय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े प्रभावशाली तथा सुन्दर ढंग से हमें यह बताया है कि किस प्रकार यह झंडा सबसे पहले तो हमारी पिछली सुन्दर तथा महान् परम्परा को बताता है और समान रूप से हमारी पिछली उज्जवल ऐतिहासिक दशाओं को बताता है। इसके पश्चात् उन्होंने यह बताया कि वर्तमान समय में यह क्या प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में स्वतंत्रता की ओर उन्नति करने में यह हमारे उत्थान और पतन का द्योतक है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में अन्तिम विजय-फल का द्योतक है। श्रीमान् जी, यह बिल्कुल ठीक और उचित है कि इस प्रस्ताव का प्रेषक महान् पंडित जवाहरलाल नेहरू है। क्योंकि उनका व्यक्तित्व महान् है। श्रीमान् जी, इस महान् व्यक्तित्व से मेरा क्या अभिप्राय है? यदि मैं संक्षेप से संक्षेप रूप में कहूं तथा साथ ही साथ संपूर्ण महत्व भी बता सकूं तो वह इस प्रकार है। श्रीमान् जी उनका व्यक्तित्व सर्वस्व त्याग और पूर्ण निःस्वार्थ की भावना पर आश्रित है और व्यक्तित्व के सर्वस्व त्यागमय तथा पूर्ण निःस्वार्थमय होने के कारण वह सर्वतोमुखी है, सर्व व्याप्त है और सर्वजित है। मुझे इस विषय पर और अधिक नहीं कहना चाहिये। यह आवश्यक भी नहीं है क्योंकि

समस्त भारत ही नहीं वरन् समस्त संसार जानता है कि किस प्रकार इस भारत मां के लाल ने भारतीय राष्ट्र की उच्च बलि-वेदी पर अपने आपको न्यौछावर कर दिया। मेरे विचार से मेरा समय अब समाप्त होने वाला है। मैं अपनी तीव्र अभिलाषा कि जो झंडा आज हमने स्वीकार किया है उसके नीचे भारत उन्नति करे एक लेटिन भाषा के कथन से प्रकट करता हूं, जिसका हिन्दी भाषान्तर यह है: ''भारत इस झंडे के नीचे रहे, वृद्धि करे तथा उन्नत हो वह स्थिर लाभ तथा यश प्राप्त करने के लिये, जो केवल भारत के करोड़ों निवासियों के लिये ही न हो वरन् समस्त संसार के लिये व्यापक रूप में हो।'' इस विनम्र भारतीय ईसाई की यही प्रार्थना है। (*तालियां*)

श्री जयनारायण व्यास (जोधपुर): राष्ट्रीय झंडे की जो प्रशंसा की गई है, उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। इसकी महिमा का जो संगीत गाया गया है उसके स्वरों में मैं भी एक हल्का-सा स्वर देशी राज्यों की पिछड़ी हुई प्रजा की तरफ से मिला देना चाहता हूं। इस तिरंगे झंडे के नीचे न सिर्फ प्रान्तों के लोगों ने बल्कि देशी राज्यों की प्रजा ने भी लड़ाई लड़ी है। अपनी आजादी के लिये वह आजादी जो विदेशियों की गुलामी की वजह से हम पर लदी हुई थी अपनी आर्थिक आजादी के लिये, अपनी सामाजिक आजादी के लिये, ऐसी लड़ाइयों का जिनका इस तिरंगे झंडे से सम्बन्ध है इस व्यक्ति से भी सम्बन्ध है, जिस व्यक्ति ने आज आपके सामने इस झंडे का प्रस्ताव रखा है। मेरा मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू से है जिसके बिना हमारे देशी राज्यों की प्रजा का आंदोलन, प्रजा का मूवमेंट, प्रजा की प्रगति आज जिस हद तक पहुंच चुकी है, वह शायद नहीं पहुंच सकती थी। आज इस झंडे के साथ उनका नाम है और इस झंडे के साथ जो भावनायें उनकी हैं, उन भावनाओं में हम अपनी भावनाओं को मिलाते हैं। इस झंडे में पहले चर्खे का एक चिह्न था अब उसके बदले में चक्र का चिह्न है, जो गति का चिह्न है। इस चर्खे वाले झंडे के नीचे जो प्रान्तों के रहने वाले हैं उन्होंने अपनी आजादी हासिल कर ली है लेकिन जो देशी राज्यों के रहने वाले हैं उनको अब तक अपनी आजादी कुछ अंशों में हासिल करनी है और वह है हमारा उत्तरदायी शासन। हमें अपने राजा को हटाना नहीं है उनकी छत्रछाया में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्त करना है और वह हम इस झंडे के नीचे प्राप्त करेंगे, इसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं है। यह झंडा हमारे देश का झंडा है, आज वह प्रान्तों में विभक्त है। यह अलग-अलग जातियों का झंडा है। आज वह हिन्दू का है, मुसलमान का है, सिखों का है, पारसियों का है इसलिये यह झंडा सब जगह लहराये, वायसराय की बिल्डिंग में लहराये, राजाओं के महलों में लहराये, गरीबों के झौंपड़ों पर

[श्री जयनारायण व्यास]

लहराये। यह हमारी भावना है और इस भावना के साथ मैं इस झंडे की वंदना करता हूं।

***श्री एस. नागप्पा** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा होता हूं। श्रीमान् जी, यह वह झंडा है जिसके नीचे हम विगत 60 वर्षों तक कूच करते गये और अन्त में विजय प्राप्त की। हमें इस झंडे पर अभिमान है। इसमें तीन रंग हैं और ये तीनों रंग हमारे देश में तीन सम्प्रदायों के द्योतक हैं जो कि संगठित होकर एक हो गये हैं। झंडा यह भी बताता है कि देश क्या चाहता है। हम दूसरे देशों को कैद करना नहीं चाहते, हम साम्राज्यवादी बनना नहीं चाहते, हम दूसरे देशों को अपने सामने शीश झुकाते देखना नहीं चाहते। जो कुछ हम चाहते हैं वह यह है कि हमारा झंडा शांति, उन्नति तथा समृद्धि का चिह्न बनकर समस्त संसार में फहराये।

महात्मा गांधी ने इस झंडे में गरीबों का चिह्न—गरीबों का उद्योग जिससे वे अपना जीवन-निर्वाह करते हैं—अर्थात् चर्खे के समावेश करने की कृपा की थी। श्रीमान् जी, मैं हरिजन हूं जो लोग कि अधिकतर कताई पर निर्भर हैं। महात्मा गांधी ने झंडे में चरखे को ठीक रखा है। पंडित नेहरू ने यह कहकर कृपा की कि यही चिह्न यदि एक ओर है तो दूसरे ओर भी होना चाहिये। लेकिन चक्र केवल चरखे का द्योतक ही नहीं है बल्कि यह हर्ष की बात है कि वह देश की उन्नति का भी द्योतक है और हमारे देश की स्वतंत्रता के बाल रवि का प्रतीक है। हम दो सौ वर्षों से पराधीन रह रहे हैं और कम से कम हम अब अपने देश में स्वतंत्रता के सूर्य को उगते देख रहे हैं।

यह चक्र महान् विष्णु चक्र का भी प्रतीक है जो संसार का चक्र है और जो समस्त संसार को शांति, उन्नति तथा सफलता प्राप्त करा सका।

श्रीमान् जी, झंडे को रखना, उसको फहराना तथा भवनों पर उसे उड़ते देखना बहुत सरल है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका सम्मान रखना जानना चाहिये। जो व्यक्ति झंडे का सम्मान करता है वह समस्त राष्ट्र का सम्मान करता है। ज्यों-ज्यों झंडा ऊंचा उड़ता है त्यों-त्यों हमारे राष्ट्र का सम्मान बढ़ता जाता है।

अब तक यह कांग्रेस का झंडा कहा जाता था। अब यह कांग्रेस का झंडा नहीं कहा जायेगा। यह भारतीय राष्ट्रीय झंडा कहा जायेगा। प्रत्येक मनुष्य चाहे वह

मुसलमान हो, हिन्दू हो या ईसाई हो इस झंडे का स्वामी होगा। उसे इसकी रक्षा करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर अपना बलिदान भी करना होगा और तभी हमारे देश का संसार द्वारा उच्च सम्मान होगा।

***श्री लक्ष्मीनारायण साहू** (उड़ीसा: जनरल): श्रीमान् जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इतनी योग्यता, विलक्षणता और मैं तो कहूंगा कि जादूगरी से प्रेषित किये गये प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं। जो झंडा हमको भेंट किया गया है वह उड़ीसा में मेरे निजी स्थान की याद दिलाता है। उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर है जिस पर एक हजार वर्ष के पूर्व से ही अनन्त चक्र स्थित है जो नील चक्र कहा जाता है और उसके साथ एक झंडा है जो ''पतित पावन-वन'' अर्थात् वह झंडा जो गरीबों का हो, अछूतों का हो, कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर हमारे सब नेता लोग जगन्नाथ जी के मन्दिर में अछूतों के प्रवेश कराने का प्रयत्न करेंगे जो कि आज तक उनके लिये बन्द है।

इस झण्डे पर यह चक्र मुझे और भी अनेक बातों की याद दिलाता है जो कलिंग और उस मगध से सम्बन्धित है जिसके अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं निवासी हैं। अशोक मगध से कलिंग गया और वहां एक महान् युद्ध किया। एक बड़े नर-संहार के पश्चात् वह दयावान व्यक्ति बना—दयावान अशोक; और एक प्रकार से कलिंगों ने अशोक को जीत लिया। जब मैं इस झंडे को अशोक और भगवान् बुद्ध के नाम से सम्बन्धित यहां देखता हूं तो मुझे यह याद आ जाता है कि हमारे देश कलिंग ने अशोक को अहिंसा का एक सुन्दर उपदेश दिया। उड़ीसा में आज भी अशोक के दो शिलालेख संसार को यह बताने के लिये खड़े हुये हैं कि जाति, धर्म तथा राष्ट्र का भेद-भाव किये बिना हमें समस्त देशों की तथा समस्त मानव-समाज की सेवा करनी चाहिये इत्यादि, इत्यादि। मैं यह अनुभव करता हूं कि यह झंडा वास्तव में हमारा केवल राष्ट्रीय झंडा ही नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय है क्योंकि चक्र अनंत चक्र का द्योतक है। इसलिये हम सब, मैं तो यह कहूंगा कि जो कांग्रेस के साथ नहीं थे वे भी इस झंडे का आदर करेंगे। यह वह झंडा है जो कि आज पूर्णतया राष्ट्रीय हो गया है जबकि इस राष्ट्रीय झंडे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतनी योग्यता के साथ प्रस्ताव पेश किया है।

जब मैं इस झंडे में तीन रंगों को देखता हूं तो मुझे जगन्नाथ जी के मन्दिर की तीन मूर्तियां भी याद आती हैं—जगन्नाथ भगवान का नीला रंग है, बलराम का सफेद और सुभद्रा देवी का पीला रंग है जिनके दायें बांये जगन्नाथ और बलराम हैं—एक प्रकार से नारी जाति की रक्षा करते हुये। इस चिह्न की मैं पूजा करता

[श्री लक्ष्मीनारायण साहू]

हूं क्योंकि एक प्रकार से यह मेरे देश का चिह्न है—जहां से कि मैं इस विधान-परिषद् में सदस्य होकर आया हूं।

मैं इसीलिये हृदय से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बड़ी योग्यता के साथ प्रेषित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

रेवरेण्ड जेरोम डीसूजा (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, इस शुभ अवसर पर जबकि भारत बिना किसी धर्म, जाति या मत, प्रान्त या प्रदेश के भेदभाव के उस राष्ट्रीय चिह्न को स्वीकार कर रहा है जो संसार की कौंसिलों में उसका प्रतीक होगा। श्रीमान् जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस आनन्द-गान में मुझे सम्मिलित होने का अवसर दिया। श्रीमान् जी, हममें से जिन लोगों ने विदेशों में जनता के प्रदर्शन और आडम्बर देखे हैं उन्होंने यह देखकर दीन भाव अनुभव किया होगा कि हमारा महान् देश, उसके विशाल जनसमुदाय, उसकी प्राचीन परम्परा तथा सभ्यता और उसके अतुलनीय सौंदर्य का प्रतीक उन आडम्बरों में नहीं पाया जाता था और जब ये अनजान व्यक्ति हमारी ओर देखते थे तो इस शर्म के मारे कि इस शिष्टाचार में हमारा स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं है हमारा सिर नीचे झुक जाता था। लेकिन आज उस दीनता का अन्त हो गया और यदि ऐसा प्रदर्शन होता है तो भारत के वे बच्चे जो कि वहां होंगे उसी गौरव का अनुभव करेंगे जो कि अन्य राष्ट्र अपने देश के प्रतीक को हवा में फहराते हुये उसका स्वागत और सम्मान कर गौरव प्राप्त करते हैं और उनके हृदय प्रसन्न होंगे जैसे-जैसे उनका झंडा हवा में ऊंचा लहरायेगा। श्रीमान् जी, यह भी झंडे का एक रूप है और मेरे विचार से हम सब एक विशेष प्रकार के संतोष की प्रतीति करेंगे।

मैं यह मानता हूं कि झंडे के लाक्षणिक अर्थ को, शास्त्रोक्त पद्धति को उसके फहराने के महत्त्व को तथा अन्य बातें जो उसके साथ हैं उन सबको हमारे लोग और लोगों से अच्छा समझते हैं। हमें अपनी शास्त्रोक्त विधि से बहुत प्रेम है। हम अपने प्रतीकों तथा चिह्नों को बौद्धिक सम्पत्ति से परिपूर्ण रखते हैं। हमारा बड़ा आनंददायक तथा एक अपूर्व रूप से भली प्रकार विचारा हुआ चिह्न है जिसमें रंगों का सुन्दर मेल है और केन्द्र में चक्र के रखने का एक अनोखा विचार है जिसके अनेकों अर्थ व्यक्त किये जा सकते हैं। श्रीमान् जी, मुझे विश्वास है और हममें से बहुत से जो उस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित थे स्मरण करेंगे

कि जब इस भवन का जिसमें कि हम बैठे हैं प्रतिष्ठापन हुआ तो उस समय के वायसराय लार्ड इरविन ने इस भवन के गोलाकार निर्माण का हवाला देते हुये एक ईसाई उच्च कवि का उल्लेख किया था, उनकी पंक्तियां उद्धृत की थीं कि उन्होंने नित्यता को श्वेत प्रकाश के गोलाकार रूप में देखा था। श्रीमानजी, यह गोलाकार–यह चक्र जो समय तथा उसके प्रतिकार-उद्योग तथा उसके लाभ इत्यादि बहुत-सी बातों को दरशाते हुये हमारे लिये अनन्त तथा सनातन जीवन के माहात्म्य का प्रतीक भी है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन आध्यात्मिक गुणों का उल्लेख किया था जिनके आधारस्वरूप राष्ट्र जीवित रहता है और जो इस झंडे द्वारा प्रदर्शित होने चाहिये। चक्र के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु उन आध्यात्मिक गुणों का प्रदर्शन करने के लिये अधिक उपयुक्त तथा प्रशंसनीय नहीं हो सकती थी। यही वह चिह्न है जिसको धारण कर भारतवर्ष अपना युद्ध जारी रखेगा। क्या मुझे यह कहने की आज्ञा है कि भारत शान्ति के लिये भी संघर्ष जारी रखेगा और जिस प्रकार उसके योद्धाओं को इस झंडे का दर्शन अन्यायी बैरियों के विरुद्ध धर्म-युद्ध में साहस और उत्तेजना प्रदान करेगा उसी प्रकार यह झंडा हमारे शान्ति-प्रेम का परिचायक होगा? समस्त सद्कार्यों में और समस्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में यह हमारा सहायक हो। हमारे आपसी लड़ाई-झगड़ों में जिनमें अन्याय किया जाता है, जोश बढ़ जाता है साम्प्रदायिक शांति भंग की जाती है, इस झंडे का दर्शन कटु तथा विरोधी कर्कश शब्दों को मधुर बनाने में और जिस प्रकार आज हम सब मिलकर हर्षपूर्वक भ्रातृ-भाव से परिपूर्ण अपने इस राष्ट्रीय झंडे का अभिवादन करने के लिये एकत्रित हुये हैं उसी प्रकार सहयोगपूर्वक सम्मिलित होने में हमारी सहायता करें।

***अध्यक्ष:** अभी सूची में अनेक वक्ताओं के नाम हैं, परन्तु मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि अन्तिम भाषण के लिये श्रीमती नायडू को आमंत्रित करूंगा। अत: मैं निवेदन करता हूं कि वे सभा में भाषण दें।

***श्रीमती सरोजिनी नायडू** (बिहार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, हाउस इस बात से परिचित है कि आज प्रात:काल ही भाषण देने के लिये मैंने बारम्बार मना कर दिया था। मैंने सोचा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुन्दरता, प्रतिभा और औचित्य के गुणों से इतना वीररसपूर्ण था कि वह भाषण ही इस हाउस की आकांक्षायें, भावनायें और आदर्शों को प्रकट करने के लिये पर्याप्त था। जब मैंने

[श्रीमती सरोजिनी नायडू]

विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों को, जो कि इस हाउस के सदस्य हैं इस झंडे के प्रति अपनी-अपनी निष्ठा प्रकट करते हुये देखा तो मुझे खुशी हुई। मेरे पीछे बिहार प्रान्त के जो लोग बैठे हुये हैं उन्होंने मुझे विशेषकर याद दिलाई कि यदि मैं यह कहना भूल गई कि इस झंडे में जो आज स्वेच्छापूर्वक तथा गौरव सहित हाउस द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, अशोक के धर्म-चक्र का चिह्न है जिसको वे बिहारी मानते हैं (मैं यह नहीं जानती कि यह किस ऐतिहासिक आधार पर है) तो मेरा जीवन और पद उनके प्रान्त में संकटमय हो जायेंगे। परन्तु आज मैं यहां जो कुछ कह रही हूं वह किसी सम्प्रदाय, मत अथवा स्त्रियों की ओर से नहीं है यद्यपि हाउस की सदस्यायों का यह हठ है कि किसी स्त्री को भाषण देना चाहिये। मैं समझती हूं कि विश्व-सभ्यता की प्रगति में अब वह समय आ गया है जब कि हमें स्त्री-पुरुष के भेदभाव की भावना या देश की सरकारी नौकरियों में स्त्री-पुरुष के पृथकत्व का विचार नहीं रखना चाहिये। मैं इसलिये उस प्राचीन माता की ओर से जिसने नवीन रूप धारण किया है, बोलती हूं। उसका हृदय अखंड है और उसकी आत्मा अभिवाज्य है। उसका प्रेम अपनी समस्त सन्तानों के लिये समान है चाहे वह कहीं का हो, किसी मन्दिर या मस्जिद में पूजा करता हो, किसी भी भाषा को बोलता हो और चाहे किसी संस्कृति को अपनाये हो।

मेरे दीर्घ जीवन-काल में कई बार विदेश यात्राओं में—क्योंकि भाग्य और प्रकृति से ही मैं स्वेच्छाचारिणी हूं—मैंने स्वतंत्र देशों में सन्ताप की भयानक घड़ियों को बिताया है क्योंकि भारत का कोई झंडा न था। उनमें से कुछ घटनाओं को मैं आपको बताना चाहूंगी।

विगत युद्ध के पश्चात् जिस दिन वार्सलीज में सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये जा रहे थे मैं संयोगवश पेरिस में थी। सर्वत्र हर्ष ही हर्ष था और संगीत भवन (Opera House) समस्त राष्ट्र के झंडों से सुसज्जित था। एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रंगमंच पर आई, जिसके लिये कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया जब तक उसने फ्रान्स के झंडे को अपने चारों ओर लपेट लिया। समस्त दर्शकगण एक-साथ खड़े हो गये और उसके साथ-साथ उन्होंने फ्रान्स के राष्ट्रीय गीत—''दी मार्सलीज'' को गाया। एक भारतीय ने अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझसे पूछा कि हमारा झंडा कब बनेगा? मैंने उत्तर दिया कि शीघ्र ही वह समय आने को है जबकि हमारा अपना झंडा होगा और अपना राष्ट्रीय गीत होगा।

संधि-पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् ही न्यूयार्क के उत्सव में मुझे भाषण देने के लिये कहा। जिस विशाल भवन में परिषद् बैठी थी उसमें 44 राष्ट्रों के झंडे फहरा रहे थे। मैंने सब राष्ट्रों के झंडे की ओर देखा और बोलते ही मैंने पुकारा कि स्वतंत्र राष्ट्रों की इस विशाल परिषद में यद्यपि स्वतंत्र भारत का झंडा नहीं है फिर भी निकट भविष्य में ही उसका झंडा संसार का एक महान् ऐतिहासिक झंडा होगा। वह मेरे लिये सन्ताप का समय था जब कि कुछ मास पूर्व ही बर्लिन की अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस में 42 राष्ट्रों ने अपनी सदस्यायों को भेजा। वहां वे किसी दिन प्रात:काल राष्ट्रीय झंडों की परेड करने की योजना बना रही थीं। भारत का कोई सरकारी झंडा नहीं था। लेकिन मेरे सुझाव पर कुछ भारतीय सदस्यों ने अपनी साड़ियों में से पटिट्यां फाड़ीं और वे सारी रात तिरंगा झंडा बनाने में लगी रहीं, जिससे कि राष्ट्रीय झंडे की अनुपस्थिति में हमारे देश का अपमान न होने पाये। लेकिन सबसे अधिक कष्टप्रद संताप अभी केवल कुछ मास पूर्व ही हुआ जब कि जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से एशिया के राष्ट्र दिल्ली में सम्मिलित हुये और एशिया के संगठन की पुष्टि की। रंगमंच के पीछे की दीवार पर एशिया के प्रत्येक राष्ट्र के झंडे थे। ईरान का झंडा था, चीन का था, अफगानिस्तान का था और श्याम तक का भी। छोटे-बड़े सभी देशों के चिह्न थे लेकिन हमने आत्म-निषेधक सामयिक विधान (Self denying Ordinance) का प्रयोग किया जिससे कि हम सावधानी से इस प्रतिज्ञा का पालन कर सकें कि कान्फ्रेंस में दलाश्रित राजनीति के लिये कोई स्थान नहीं है। उस निश्चय पर जिसके द्वारा कांग्रेस के तिरंगे झंडे को एशियाई कान्फ्रेंस से अलग रखा, जितना हमें संताप हुआ क्या आप उसे नहीं समझ सकते और आपको दु:ख नहीं होता? लेकिन आज हमारे उस दु:ख और लज्जा का अन्त हुआ। आज इस झंडे की हम न्याययुक्त स्थापना, पुष्टि और इसका अभिवादन करते हैं, जिसके नीचे हममें से हजारों ने संघर्ष किया और बलिदान दिये। स्त्री-पुरुष, वृद्ध-युवा, राजा-रंक, हिन्दू तथा मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, पारसी सभी ने इस झंडे के नीचे संग्राम किया। जब मेरे मित्र खलीकुज्जमां बोल रहे थे मैंने अपने सामने उन मित्र और साथी महान् देशभक्तों को देखा जो मुसलमान थे, और जिन्होंने इस झंडे के नीचे कष्ट सहे। मुझे मुहम्मद अली, शौकत अली, डा. अन्सारी और अजमल खां का ख्याल आया। मैंने उस छोटे से पारसी सम्प्रदाय का जिक्र किया जो कि वृद्ध दादा भाई नौरोजी की जाति है और जिसकी प्रपौत्री ने अन्य लोगों के साथ संघर्ष में भाग लिया, जेल की यातना सही और भारत की स्वतंत्रता के लिये त्याग किये। मुझसे एक व्यक्ति ने जिसे पक्षपात के कारण कुछ सूझता न था पूछा, आप इस झंडे को भारत का झंडा कैसे कह सकती हैं भारत तो विभाजित हो गया। मैंने उससे कहा कि यह तो केवल अस्थायी

[श्रीमती सरोजनी नायडू]

भौगोलिक विभाजन है। भारत के हृदय में विभाजन की भावना नहीं है। (*वाह वाह*) आज मैं सबसे इस झंडे का आदर करने की विनती करती हूं। वह चक्र क्या बताता है? वह अशोक महान् के धर्म चक्र का प्रतीक है जिसने अपना शांति और भ्रातृत्व का संदेश समस्त संसार को दिया। क्या उन्होंने सहयोग, भ्रातृत्व और साहचर्य के आधुनिक आदर्श का आभास नहीं किया था? क्या वह चक्र प्रत्येक व्यक्ति के हित और कर्त्तव्य का चिह्न स्वरूप नहीं है? क्या वह मेरे कान्तिमान ओजस्वी प्रिय नेता महात्मा गांधी के चरखे का तथा काल चक्र का जो निर्बाध गति से अग्रसर होता जाता है प्रतीक नहीं है? क्या वह अनन्त का द्योतक नहीं है? क्या वह मानव बुद्धि का प्रतीक नहीं है? सार्वजनिक भारत का विचार किये बिना कौन उस झंडे के नीचे रहेगा? उसके कार्यों को कौन सीमित करेगा? इस झंडे के वंशानुगत क्रम को कौन सीमित रखेगा? यह किसका झंडा है? यह भारत का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें बताया कि भारत कभी एकाकी नहीं रहा। मैं चाहती हूं कि वे यह और कहते ''भारत मित्र और शत्रु के लिये समान है''। क्या वह समान नहीं रहा? क्या संसार की समस्त संस्कृतियों ने उसकी संस्कृति को कुछ देन नहीं दी? क्या इस्लाम भारत में सार्वजनिक भ्रातृभाव के आदर्श को नहीं लाया? क्या पारसी अपने दृढ़ साहस को नहीं लाये जो अपने अग्नि-देवालय से दहकते हुये लट्ठे को लेकर ईरान से भागे और जिस मंदिर का फर्श आज हजारों वर्ष पश्चात् भी नाश को प्राप्त नहीं हुआ? क्या ईसाइयों ने दीन से दीन जनों की सेवा करने का सबक हमको नहीं पढ़ाया? क्या सनातन हिन्दू धर्म ने हमें मनुष्यमात्र को सम्पूर्णरूपेण प्रेम करना नहीं सिखाया? क्या उसने हमें यह नहीं सिखाया कि हमारा न्याय हमारे किसी संकीर्ण सिद्धांत पर आश्रित नहीं होगा बल्कि सार्वजनिक मानव सिद्धान्त पर आश्रित होना चाहिये?

मेरे बहुत-से मित्रों ने इस झंडे की अपनी अन्तःकरण से प्रेरित काव्य द्वारा प्रशंसा की है। मैं स्त्री और कवि होते हुये भी आपके सामने आज यह गद्य में कह रही हूं कि हम नारियां भी भारतीय अखंडता की हामी हैं। याद राखिये, इस झंडे के नीचे न कोई राजा है न कोई रंक है, न कोई धनी है और न कोई निर्धन है। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है; केवल कर्तव्य, उत्तरदायित्व और त्याग ही है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख, पारसी या अन्य कोई भी हो हमारी भारत मां का अखंड हृदय है तथा अविभाज्य आत्मा है। नये भारत के नर और नारियों, उठो और इस झंडे का अभिवादन करो! मैं आपको आज्ञा देती हूं कि उठो और इस झंडे का अभिवादन करो! (*तालियां*)

***अध्यक्षः** मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव उनके सामने रखा है उसकी स्वीकृति प्रकट करें और अपने-अपने स्थान पर आधे मिनट तक खड़े होकर झंडे के प्रति सम्मान प्रकट करें।

समस्त सभा ने खड़े होकर प्रस्ताव स्वीकार किया।

***अध्यक्षः** स्थगित होने के पूर्व मुझे एक घोषणा करनी है। भविष्य के कार्यक्रम पर कल मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था। मैंने विधान-परिषद् के कुछ सदस्यों तथा कार्यकत्ताओं से परामर्श किया। मैं यह कह सकता हूं कि इस मास में संभव है कि संघीय विधान कमेटी की रिपोर्ट पर वाद-विवाद समाप्त हो जाये। यदि हम इस माह की 30 या 31 तारीख तक ऐसा कर सकें तो उसके पश्चात् हम अधिवेशन को स्थगित करें। आगामी माह की 15 तारीख को फिर हमें यहां आना है जब कि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधियों को सत्ता हस्तान्तरित करेंगे। जब सदस्य उस कार्यक्रम के लिये यहां आयेंगे, मैं यह सुझाव रखता हूं कि 15 अगस्त के पश्चात हम अपनी बैठक करें और संघ सम्बन्धी अधिकार समिति की रिपोर्ट को लें। यदि हाउस को यह मंजूर है।

***माननीय सदस्यः** हां, हां।

***अध्यक्षः** अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट भी हमारे सामने होगी और अगले अधिवेशन में हमें उसे भी समाप्त करना होगा।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** अध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह आदर-पूर्वक निवेदन करूं कि ये दो झंडे जिनका आज प्रातःकाल प्रदर्शन किया गया है, विशेष रूप से सुरक्षित रखे जायें। अतः इनको राष्ट्रीय अजायबघर में रखवा दिया जाये। (*हर्षध्वनि*)

***अध्यक्षः** मैं इसे मंजूर करता हूं।

***एक माननीय सदस्यः** हाउस की ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप महात्मा गंधी जी के प्रति हमारे श्रद्धात्मक भावों को उन तक पहुंचा दें और उनको यह सूचना दें कि हम बड़े समारोह के साथ कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं।

***अध्यक्षः** मैं यह बड़े हर्षपूर्वक कह दूंगा।

परिषद् बुधवार ता. 23 जुलाई सन् 1947 ई. के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।